

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - I, मुम्बई



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF
COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER,
AUDIT BOARD-I, MUMBAI

गोपनीय/शीघ्र डाक

संख्या: जी ए/सी ए-1/NEIA/लेखा/2018-19/191

सेवा में,

प्रबंध न्यासी
एन ई आई ए ट्रस्ट
C/o ई सी जी सी लिमिटेड,
एक्सप्रेस टावर्स, 10 वी मंजील,
नरीमन पार्क,
मुम्बई 400 021

13 1 DEC 2019

विषय:- 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु एन ई आई ए ट्रस्ट के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र ।

महोदय,

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु एन ई आई ए ट्रस्ट के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र इस पत्र के साथ संलग्न हैं ।

कृपया इस पत्र एवं संलग्नकों की प्राप्ति की सूचना दें ।

भवदीय,

पी. वी. हरि कृष्णा
21/11/19

(पी. वी. हरि कृष्णा)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड -I, मुम्बई

संलग्न: यथोपरि ।



एन ई आई ए

11/11/2019

21/11/2019

21/11/2019

सातवी मंजिल, आर.टी.आई. बिल्डिंग, प्लॉट नं. सी-2, जी.एन. ब्लॉक, एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट के पीछे, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई - 400 051.
Seventh Floor, R.T.I. Building, Plot No. C-2, G.N. Block, Behind Asian Heart Institute, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

प्रशासन : +91 22 26520873 • प्रतिवेदन : +91 22 26502843 • फॉक्स : +91 22 26827165 • ई-मेल : mabMumbai1@cag.gov.in
Admin : +91 22 26520873 • Report : +91 22 26502843 • Fax : +91 22 26827165 • Email : mabMumbai1@cag.gov.in

AUDIT CERTIFICATE

I have audited the attached Balance Sheet of NEIA TRUST as at 31 March 2019 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date. Preparation of these financial statements is the responsibility of the management of NEIA TRUST. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I have conducted my audit in accordance with applicable rules and the auditing standards generally accepted in India. These standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

Based on our audit, I report that:

1. I have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
2. I report that the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account are properly drawn up and are in agreement with the books of accounts.
3. In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me:
 - (i) the accounts give the information required under the prescribed format of accounts;
 - (ii) the said Balance Sheet, Income and Expenditure Account read together with the Accounting Policies and Notes thereon give a true and fair view.
 - a. In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the NEIA TRUST as at 31 March 2019 and
 - b. In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.



(P V Hari Krishna)

Principal Director of Commercial Audit and
ex-officio Member Audit Board-I, Mumbai

Place: Mumbai.

Date: 31.12.2019



**बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की उप धारा (2) की धारा 33 व 34 एवं नियम 19 के अधीन
लेखा परीक्षित लेखों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट**

पंजीकरण सं . E-23382 (मुंबई)

सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम : एन ई आई ए ट्रस्ट

वर्ष : 31st मार्च, 2019

क.	क्या लेखों का रखरखाव अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है;	हाँ
ख.	क्या प्राप्तियों एवं वितरणों को सही एवं उचित रूप से लेखों में दर्शाया जा रहा है;	हाँ
ग.	क्या लेखा परीक्षा के दिन प्रबन्धक अथवा न्यासी के पास उपलब्ध नकद शेष एवं वाउचर लेखों से मेल खा रहे थे ;	हाँ
घ.	क्या लेखापरीक्षक द्वारा अपेक्षित सभी पुस्तकें, विलेख, लेखा, वाउचर अथवा अन्य दस्तावेज अथवा अभिलेख उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे;	हाँ
ङ.	क्या चल एवं अचल संपत्तियों के लिए रजिस्टर रखा गया है एवं उसमें होने वाले संशोधनों के विषय में समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया जाता रहा है, एवं क्या पिछली लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में उल्लिखित दोषों और अशुद्धियों का विधिवत अनुपालन किया गया है;	ट्रस्ट के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है
च.	क्या लेखापरीक्षक द्वारा , प्रबंधक अथवा न्यासी अथवा किसी अन्य व्यक्ति से , उसके समक्ष उपस्थित होना अपेक्षित था एवं संबंधित व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की अपेक्षा पूर्ण की गयी थी एवं लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की गयी;	हाँ
छ.	क्या ट्रस्ट की कोई संपत्ति अथवा निधि का उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया था;	नहीं
ज.	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया राशि एवं बट्टे खाते में डाली गई राशि, यदि कोई हो;	कुछ नहीं
झ.	क्या 5000/- रु से अधिक के मरम्मत अथवा निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं	लागू नहीं
ञ.	क्या लोक न्यास की किसी राशि का धारा 35 के प्रावधानों के विपरीत कहीं अन्यत्र निवेश किया गया है;	नहीं
ट.	धारा 36 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत किसी अचल संपत्ति का हस्तांतरण, यदि कोई हो, किया गया है जो लेखापरीक्षक के संज्ञान में आया	कुछ नहीं



	हो;	
ठ.	अनियमित, अवैध अथवा अनुचित व्यय अथवा सार्वजनिक ट्रस्ट से संबंधित धन अथवा कोई अन्य संपत्ति की वसूली में विफलता अथवा चूक अथवा धन अथवा अन्य संपत्ति की हानि अथवा क्षति के सभी मामले, एवं क्या इस प्रकार के व्यय, विफलता, चूक, हानि अथवा क्षति, ट्रस्ट के प्रबंधन हेतु नियुक्त ट्रस्टियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से विश्वास के उल्लंघन अथवा दुराचार अथवा किसी अन्य कदाचार के परिणाम स्वरूप हुआ है;	कुछ नहीं
ड.	क्या नियम 16ए के जरिये उपलब्ध कराए गए फॉर्म में बजट की प्रस्तुति की गयी है;	नहीं
ढ.	क्या न्यासियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या को बनाए रखा जाता है;	हाँ
ण.	क्या इस तरह के साधन में उल्लिखित अनुसार बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं;	हाँ
त.	क्या बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त पुस्तकों का उचित रखरखाव किया जाता है;	हाँ
थ.	क्या न्यासियों में से किसी न्यासी का न्यास के निवेश में कोई हित निहित है;	नहीं
द.	क्या कोई न्यासी, न्यास का ऋणी उधारकर्ता अथवा लेनदार है;	नहीं
ध.	क्या पिछले वर्ष के लेखाओं में लेखापरीक्षकों द्वारा इंगित अनियमितताओं का वर्तमान लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान न्यासियों द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया है;	किया जा रहा है
न.	कोई अन्य विशेष मामला जिसे लेखापरीक्षक को उप अथवा सहायक चैरिटी आयुक्त के ध्यान में लाना उचित अथवा आवश्यक लगे;	कुछ नहीं

कृते

एल एन मारु & कं
सनदी लेखाकर
फार्म पंजीकरण सं. : 106069W

हस्ताक्षरित

सी ए एल एन मारु
भागीदार
सदस्यता सं. : - 033246

स्थान : मुंबई

दिनांक :- 23/09/2019

यू डी आई एन : 19033246 ए ए ए ए डी

3064





L N MARU & Co

Chartered Accountants

220, Wadala Udyog Bhavan, MMGS Marg, Dadar-Wadala, Mumbai - 400 031. Office : 022-2412 2382
Email : info@calnmaru.com | Website : www.calnmaru.com

Report of an auditor relating to accounts audited under sub-section (2) of section 33 & 34 and rule 19 of the Bombay Public Trusts Act.

Registration No. E-23382 (MUMBAI)

Name of the Public Trust: NEIA TRUST

For the year ended : 31st March, 2019.

(a)	Whether accounts are maintained regularly and in accordance with the provisions of the Act and the rules;	YES
(b)	Whether receipts and disbursements are properly and correctly shown in the accounts;	YES
(c)	Whether the cash balance and vouchers in the custody of the manager or trustee on the date of audit were in agreement with the accounts;	YES
(d)	Whether all books, deeds, accounts, vouchers or other documents or records required by the auditor were produced before him;	YES
(e)	Whether a register of movable and immovable properties is properly maintained, the changes therein are communicated from time to time to the regional office, and the defects and inaccuracies mentioned in the previous audit report have been duly complied with;	THERE ARE NO FIXED ASSETS.
(f)	Whether the manager or trustee or any other person required by the auditor to appear before him did so and furnished the necessary information required by him;	YES
(g)	Whether any property or funds of the Trust were applied for any object or purpose other than the object or purpose of the Trust;	NO
(h)	The amounts of outstanding for more than one year and the amounts written off, if any;	NIL
(i)	Whether tenders were invited for repairs or construction involving expenditure exceeding Rs. 5000/-;	NA
(j)	Whether any money of the public trust has been invested contrary to the provisions of Section 35;	NO
(k)	Alienations, if any, of the immovable property contrary to the provisions of Section 36 which have come to the notice of the auditor;	NIL
(l)	All cases of irregular, illegal or improper expenditure or failure or omission to recover monies or other property belonging to the public trust or loss or waste of money or other property thereof, and whether such expenditure, failure, omission, loss or waste was caused in consequence of breach of trust or misapplication or any other misconduct on the part of the trustees or any other person while in the management of the trust;	NIL
(m)	Whether the budget has been filed in the form provided by rule 16A;	NO
(n)	Whether the maximum and minimum number of the trustees is maintained;	YES
(o)	Whether the meetings are held regularly as provided in such instrument;	YES
(p)	Whether the minute books of the proceedings of the meeting is maintained;	YES
(q)	Whether any of the trustees has any interest in the investment of the trust;	NO
(r)	Whether any of the trustees is a debtor or creditor of the trust;	NO



(s)	Whether the irregularities pointed out by the auditors in the accounts of the previous year have been duly complied with by the trustees during the period of audit;	Being attended to
(t)	Any special matter which the auditors may think fit or necessary to bring to the notice of the Deputy or Assistant Charity Commissioner;	NIL

For L N Maru & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 106069W

Handwritten signature



CA L N Maru
Partner

Membership No.: - 033246

Place:- Mumbai
Date:- 23/09/2019

UDIN: 19033246AAAAAD3064



एन ई आई ए ट्रस्ट N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

दिनांक 23 सितंबर 2019 को ट्रस्टियों के मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट के आय के संचय को अपनाने के लिए परिचालन द्वारा जारी संकल्प ।

विषय : ट्रस्ट के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाँच वर्षों की अवधि यथा मार्च 2024 तक के लिए ट्रस्ट के आय का संचय एवं निर्धारण

संकल्प

“संकल्प किया गया कि एन ई आई ए ट्रस्ट (ट्रस्ट) की आय से निम्नलिखित उद्देश्य से 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 0/- (कुछ नहीं) की राशि का संचय कर दिनांक 31.03.2024 तक अलग रखा जाये:

1. राष्ट्रीय हित वाले मध्यम एवं दीर्घ अवधि के निर्यातकों की सुविधा के लिए एन ई आई ए योजना को कार्यान्वित करना।
2. समय समय पर भारत सरकार द्वारा मध्यम एवं दीर्घ अवधि के निर्यातकों के लिए निर्मित एवं ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित योजनाओं एवं इस प्रकार की अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन।
3. समय समय पर भारत सरकार द्वारा अपल्पावधि के निर्यातकों के लिए निर्मित एवं ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित योजनाओं एवं इस प्रकार की अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन।

“आगे संकल्प किया गया कि उक्त अनुसार संचित एवं अलग रखे गए आय को आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अधीन निर्धारित अनुसूचित बैंकों में मियादी जमाओं में निवेश किया जाएगा।”

श्री एम सैथिलनाथन प्रबन्धक ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

श्रीमती गीता मुरलीधर , ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

श्री डेविड रस्किना , ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

NEIA Trust C/O ई.सी.जी.सी.लि., (भारत सरकार का उद्यम) - पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400 021.

Regd. Office: C/o ECGC Limited “formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited” (A Govt. of India Enterprise), Express Towers, 10th floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. फोन/ Tel: 022-66590500-09, फैक्स/Fax:022-66590517/522; www.ecgcindia.com



एन ई आई ए ट्रस्ट
N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई. 23382(मुंबई) दि. 8.5.06
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd. 8.5.06

Resolution by circulation for the adoption of Accumulation of income of the NEIA Trust for the FY 2018-19 by the Board of Trustees on 23rd September, 2019.

Subject : Accumulation and setting of income of the Trust for a period of five years, i.e. upto March, 2024 for utilization towards the specified objects of the Trust.

Resolution:

“RESOLVED THAT a sum of Rs. 0/- (Rupees Nil Only) to be accumulated and set apart upto 31/03/2024 out of the income of the NEIA Trust (“The Trust”) for the year ended 31st March 2019 for the following purpose:


1. To implement the NEIA Scheme for the benefit of Medium and Long term Exporters in National Interest.
2. To implement such other schemes for the benefit of Medium and Long term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.
3. To implement such other schemes for the benefit of Short Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.

“RESOLVED FURTHER THAT the income accumulated and set apart as above shall be kept invested in the Fixed Deposits with the Scheduled Banks specified u/s 11(2) of the Income Tax Act, 1961.”

Shri. M. Senthilnathan, Managing Trustee

Smt. Geetha Muralidhar, Trustee

Shri David Rasquinha, Trustee



एन ई आई ए ट्रस्ट N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

दिनांक 23 सितंबर 2019 को ट्रस्टियों के मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट के वार्षिक लेखों को अपनाने के लिए परिचालन द्वारा जारी संकल्प।

संकल्प:

“संकल्प किया गया कि दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट के लिए वार्षिक लेखों में 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखों एवं 31 मार्च 2019 तक के तुलन पत्र को एतद्वारा ट्रस्टियों के मण्डल द्वारा अपनाया गया।”

श्री एम सेंथिलनाथन प्रबन्धक ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

श्रीमती गीता मुरलीधर , ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

श्री डेविड रस्किना , ट्रस्टी

हस्ताक्षरित



NEIA Trust C/O ई.सी.जी.सी.लि., (भारत सरकार का उद्यम) - पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.

Regd. Office: C/o ECGC Limited “formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited” (A Govt. of India Enterprise), Express Towers, 10th floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. फोन/ Tel: 022-66590500-09, फैक्स/Fax:022-66590517/522; www.ecgcindia.com

एन ई आई ए ट्रस्ट
N.E.I.A TRUST


पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

Resolution by circulation for the adoption of annual accounts of NEIA Trust for the FY 2018-19, by the Board Of Trustees on 23rd September,2019.

Resolution:

“RESOLVED THAT the annual accounts of the NEIA Trust for the year ended 31st March 2019 consisting of income & Expenditure Accounts for the period ended 31st March 2019 and Balance Sheet as on 31st March 2019, be and hereby adopted by the Board Of Trustees.”


Shri. M. Senthilnathan, Managing Trustee



Smt. Geetha Muralidhar, Trustee



Shri David Rasquinha, Trustee



निर्दिष्ट एवं देयताएं	राशि रु में	संशुद्ध एवं आधिरार	राशि रु में	राशि रु में
<p>ट्रस्ट की निधि अथवा कॉर्पस निचले कुलन पत्र के अनुसार शेष जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त बायसी योग्य निधि</p> <p>अन्य निर्धारित निधियां :- (ट्रस्ट के प्रावधानों, समझौतों अथवा योजना अथवा अगस्त के अर्पित निधि)</p> <p>सूचनाएं निधि कुल योग्य निधि प्राथमिक निधि कोई अन्य निधि - विभिन्न प्राथमिक निधि</p> <p>कुल (सुशुद्ध एवं अनुसूचित) निधियों की ओर से अन्यों की ओर से</p> <p>देयताएं जारी हेतु लोक न्याय प्रदायन कोष को देय अउदान दण्डित कार्य हेतु प्रयाशन अभियोग हेतु इतिहास की ओर से माटी शुल्क अन्यों की ओर से माटी शुल्क प्राप्त पत्र अनुसूचित अभियोग माटी शुल्क अभियोग माटी शुल्क की बायसी हेतु प्रयाशन विभागे एवं अन्य जायदादों हेतु निविदाएं तथा शेष हेतु देय बीतन पर कर कटौती निविदाएं संनिधिनी को देय</p> <p>अनुसूचित निधियों हेतु प्राथमिक निधियां आय एवं व्यय खाता निचले कुलन पत्र के अनुसार शेष पट्टाएं : विविध, यदि कोई हो तो</p> <p>जोड़े : आय एवं व्यय खाते के अनुसार अधिदेय (पट्टा)</p>	<p>24,91,00,00,000 3,00,00,00,000</p> <p>9,30,87,96,743</p> <p>40,09,64,008 50,66,25,005 4,23,96,209 3,37,90,10,949</p> <p>37,47,536 1,05,894 3,95,03,276</p> <p>2,84,98,98,851 (71,15,21,209)</p>	<p>अवकाश संयोजित निचले कुलन पत्र के अनुसार शेष वर्ष के दौरान प्राप्त बायसी योग्य निधि अर्पित सूचनाएं</p> <p>निवेश : वर्जित एवं निवृत्त- निचले कुलन पत्र के अनुसार शेष वर्ष के दौरान प्राप्त बायसी योग्य निधि पट्टाएं : वर्ष के दौरान निधि अर्पित सूचनाएं</p> <p>आय (सुशुद्ध एवं अनुसूचित) : (रोषण एवं अगस्त आय) शेष जायदादों अन्य आय</p> <p>अभियोग :- निधियों को निधियों को निधियों को अन्यों को वर्ष प्रत्यक्ष अभियोग कर शुल्क वर्ष प्रत्यक्ष</p> <p>व्यय अन्य आय रकम एवं बीतन शेष (क) अर्पित शेष के पास प्राप्त खातों में (ख) निधियों के पास (ग) प्रत्यक्ष के पास</p>	<p>5,08,69,18,758 2,06,00,00,000 17,10,70,359</p> <p>7,31,79,89,116</p> <p>1,71,16,86,512</p> <p>2,51,635</p> <p>34,69,96,00,000</p>	<p>43,72,95,27,263</p> <p>43,72,95,27,263</p>

उक्त कुलन पत्र में हमारे सर्वोच्च निवास के अनुसार, निधियों एवं देयताओं एवं ट्रस्ट की संशुद्ध और संशुद्ध का कुलन पत्र अलग अलग है।

कुल एवं ई आई ए ट्रस्ट

हस्ताक्षरित

(ए संशुद्धावर)
नाम

हस्ताक्षरित

(राज मुखर्जी)
नाम



हस्ताक्षरित

(हेमिंद रिकमा)
नाम

हमारे एवं हमारे ही निवेदन के अनुसार

कुल एवं एक एक एक के

संशुद्ध संशुद्ध

वर्ष संशुद्ध सं 106069AV

हस्ताक्षरित

(एक एक एक)
नाम - M. No. 033246


SCHEDULE - VIII
 (vide Rule 17 (D))

NEIA Trust
 Balance Sheet as at 31st March 2019

FUNDS & LIABILITIES	Amounts in Rs	PROPERTY & ASSETS	Amounts in Rs	Amounts in Rs
Trusts Funds or Corpus :-		Immovable Properties :-		
Balance as per last Balance Sheet	24,91,00,00,000	Balance as per last Balance Sheet	27,91,00,00,000	
Add: Refundable fund received during the year	3,00,00,00,000	Additions during the year		
		Less : Sales during the year		
		Depreciation up to date		
Other Earmarked Funds :-		Investments :-		
(Created under the provisions of the trust deed or scheme or out of the Income)				
Depreciation Fund		Furniture & Fixtures :-		
Sinking Fund		Balance as per last Balance Sheet	9,30,87,96,743	
Reserve Fund		Additions during the year		
Any Other Fund-Special Reserve		Less : Sales during the year		
		Depreciation up to date		
Loans (Secured or Unsecured) :-		Loans (Secured or Unsecured) : Good/doubtful		
From Trustees		Loans Scholarships		
From Others		Other Loans		
Liabilities :-		Advances :-		
For Expenses	40,09,64,008	To Trustees		
Contribution Due to Public Trust Administration Fund	50,66,23,005	To Employees		
Provision for Claim		To Contractors		
For Advances	4,23,96,209	To Lawyers		
Guarantee Fees from ECGC	3,37,90,10,949	To Others		
Guarantee Fees from Others		Prepaid Taxes	5,08,69,18,758	
Guarantee Fees received in advance but not allocated		Advance Tax payment	2,06,00,00,000	
For Rent & Other Deposits		Prepaid expenses	17,10,70,359	
For Sundry Credit Balances	37,47,536	Income Outstanding :-		
TDS Payable	1,05,894	Rent		
Sundry Creditors	3,95,05,276	Interest		
Payable to ECGC		Other Income		
Reserve for Unexpired Risks		Cash and Bank Balances :-		
Income and Expenditure Account :-		(a) In Current Account with Corporation Bank		
Balance as per last Balance Sheet	2,84,98,98,851	In Fixed Deposit Account with various banks		
Less : Appropriation, if any		(b) With the Trustee		
		(c) With the Manager		
Add : Surplus (Deficit) as per Income and Expenditure Account				
	-71,15,21,209			
Total	43,72,95,27,263	Total	43,72,95,27,263	43,72,95,27,263

The above Balance Sheet to the best of our belief contains a true account of the Funds and Liabilities and of the Property and Assets of the Trust.

For NEIA Trust
 (M. Senthilathan)
 Trustee



Dated : 23/05/2019
 Place : MUMBAI

As per our report of even date,
 For L.N Maru & Co
 Chartered Accountants
 Firm Regn. No. 106699W

For NEIA Trust
 (David Rastogi)
 Trustee



अनुसूची - IX
निषेध 17 (1) देखें।

सर्वजनिक ट्रस्ट का नाम: एडुआरिस्ट्र ट्रस्ट

दिनांक: 31/03/2019 तक का आय व्यय खाता

पंजीकरण सं.: E 23382

व्यय	राशि रु में	आय	राशि रु में	राशि रु में
<p><u>सम्पत्तियों के खर्च में व्यय</u> कौं, व एल अकार सम्पत्त एल खरखत सैन बीमा मूल्यवृद्धि अन्य व्यय स्वयंसेवा व्यय से संबंधित न्यायिकी हेतु पारिवारिक से संबंधित पारिवारिक हेतु (पानन के मामले में) पारसी प्रभार प्रशासनिक व्यय हेतु प्रशासनिक प्रभार लोक-न्याय प्रशासन कोष में अंशदान</p>	<p>3,62,28,529 9,42,59,627</p>	<p>विक्रयों द्वारा अर्जित बटुल ब्याज द्वारा अर्जित सार्वभौमिक बटुल सार्वभौमिक सार्वभौमिक आय कर वासी कर्जों पर बैंक ब्याज पर लाभदायक पर न्याय अथवा न्याय के रूप में धन द्वारा अर्जित अन्य सौच से आय द्वारा (क्या संभव विकल्प द्वारा) प्रारंभिक निधि से अंशदान द्वारा</p>	<p>1,71,16,86,512 55,82,38,511 29,20,79,182 9,48,80,638 25,00,743 13,04,88,156 5,31,71,30,656 1,735 1,315</p>	<p>2,65,68,84,843</p>
<p>वैक मुद्रक हेतु अंशदान एवं मुद्रक हेतु चट्टे खाते में डाली गयी राशि हेतु अशोधन धन बण छात्रवृत्तियाँ अपाठवर्द्धनिक भण्ड अन्य मदें विविध व्यय हेतु मूल्यवृद्धि हेतु आरंभिक अथवा विविध निधि में आवंटित राशि हेतु ट्रस्ट के उद्देश्य पर व्यय हेतु :- धार्मिक शैक्षणिक निवृत्तसंकीर्ण राशन शैक्षणिक राशन अन्य शैक्षणिक उद्देश्य</p>		<p>राबा बटुली द्वारा दानों हेतु प्रबंधनों के निपटव्य द्वारा वापस किए गए विविध शेष पूंजीगत आय के द्वारा अकार, वापसी पर व्यय सुलभ पत्र में आगे लाया गया बाटा</p>	<p>3,54,79,602 55,45,50,669</p>	<p>59,00,30,271 10,01,647 1,45,46,47,926 67,421</p>
<p>सुलभ पत्र में ले जाया गया अधिशेष</p>		कुल योग	<p>5,45,01,22,605</p>	<p>5,45,01,22,605</p>

कुल एन ई आई ट्रस्ट

हमारी वाम तारीख की तिथि के अनुसार
 कुल एन एन एन एन एन के
 सन्दी लेखांक
 पत्र पंजीकरण सं 106069W

हस्ताक्षरित

(का सौजन्यमान)
 न्यायी

हस्ताक्षरित

(गण सार्वभौम)
 न्यायी

हस्ताक्षरित

(देविद रिक्तन)
 न्यायी

हस्ताक्षरित

(एन एन एन एन)
 पणविर - एन सं. 033246



दिनांक : 23/09/2019
 स्थान : मुंबई

SCHEDULE - IX
[Vide Rule 17 (1)]

Name of the Public Trust : NEIA Trust

Registration No.- E 23382

Income and Expenditure Account for the year ending 31st March 2019

EXPENDITURE	Amounts in Rs	Amounts in Rs	INCOME	Amounts in Rs	Amounts in Rs
To Expenditure in respect of properties :-			By Rent		
Rates, Taxes, Cesses			Accrued		
Repairs and maintenance			Realised		
Salaries					
Insurance			By Interest		
Depreciation			Accrued On		
Other Expenses			Fixed Deposits	1,71,16,86,512	
To Establishment Expenses					
To Remuneration to Trustees			Realised On		
To Remuneration(In the case of a math)		25,00,743	Fixed Deposits	55,82,38,511	
To Consultancy Charges			TDS on Fixed Deposits	29,20,79,182	
To Administrative expenses :			Income Tax Refund	9,48,80,638	2,65,68,84,843
Administration Charges	3,62,28,529	13,04,88,156			
Contribution to Public Trust Administration Fund	9,42,59,627		On Loans		
			On Bank account		
To Legal Expenses		5,31,71,30,656	By Dividend		
To Claims			By Donation in Cash or Kind		
To Audit Fees		1,735	By Grants		
To Bank Charges			By Income From Other Source (In details as far as possible)		
To Contribution and Fees			By Transfer from Reserve		
To Amount Written Off-			By Guarantee Fees Received		
Bad Debts			ECGC	3,54,79,602	
Loan Scholarships			Others	55,45,50,669	59,00,30,271
Irrecoverable Rents					
Other Items		1,315	By Claim Recovery		10,01,647
To Miscellaneous Expenses			By Reversal of Provision for claims		1,45,46,47,926
To Depreciations			By Sundry Balances Written Back		67,421
To Amounts Transferred to Reserve or Specific Funds			By Prior Period Income		
			Interest on IT Refund		3,59,69,289
To Expenditure on object of the Trust :-			By Deficit Carried over Balance Sheet		71,15,21,209
Religious					
Educational					
Medical Relief					
Relief of poverty					
Other Charitable objects					
To Surplus carried over to Balance Sheet					
TOTAL		5,45,01,22,605	TOTAL		5,45,01,22,605


(M. Senthilnathan)
Trustee

For NEIA Trust


(Geetha Muralidhar)
Trustee


(David Rasquinha)
Trustee

As per our report of even date,
For L N Maru & Co
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 1860693
L N Maru
Partner - M. No. 093246



Dated: 23/09/2019
Place: MUMBAI



अनुसूची IX - ग

31/03/2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए योगदान के लिए दायीं सार्वजनिक ट्रस्ट की आय का विवरण
सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम और पंजीकृत सं. : एन ई आई ए ट्रस्ट

पंजीकृत सं. :- E 23382

		Rs.	Rs.
I	आय को आय एवं व्यय खाते (अनुसूची IX) में दिखाया गया है		4,73,86,01,397
II	धारा 58 और नियम 32 के तहत योगदान करने के लिए आवश्यक नहीं		
(i)	अन्य सार्वजनिक ट्रस्ट और धर्मदास से प्राप्त हुआ दान		
(ii)	सरकार और स्थानीय प्राधिकारों से प्राप्त अनुदान		
(iii)	रूब या मूल्यहास निधि पर व्याज		
(iv)	धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के उद्देश्य से खर्च की गई राशि		
(v)	चिकित्सा राहत के उद्देश्य से खर्च की गई राशि		
(vi)	पशुओं के पशु चिकित्सा के उद्देश्य से खर्च की गई राशि		
(vii)	बिखराव से उत्पन्न संकट से राहत के लिए दान से किया गया व्यय। सूजा, बाढ़, आग या अन्य प्राकृतिक आपदा		
(viii)	कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि से होने वाली आय में से कटौती		
(ix)	(क) भू-राजस्व और स्थानीय निधि उपकर (ख) बेहतर मकान मालिक को देय किया गया (ग) उत्पादन की लागत अगस्त ट्रस्ट द्वारा भूमि की खेती की जाती है (घ) कृषि प्रयोजन से उपयोग की जाने वाली भूमि से होने वाली आय में से कटौती - (क) मूल्यांकन, उपकर और अन्य सरकारी या नगरपालिका कर (ख) मकान मालिक को देय जमीन का किया गया (ग) बीमा प्रीमियम (घ) इमारतों के सफल किराए का 10 प्रतिशत मरम्मत पर (ङ) भवन के सफल किराए का 4 प्रतिशत संग्रह की लागत की समाप्ति तक		
(x)	ऐसी आय का एक प्रतिशत पर प्रतिभूतियों, स्टॉक आदि से आय के संग्रह या प्राप्ति की लागत रूपरे के व्याज आय का 1% 2,56,20,04,204.97	2,56,20,042	
(xi)	किराए पर नहीं और इमारतों के संबंध में मरम्मत के कारण कटौती अनुमति प्राप्त सफल वार्षिक किराए का 10 प्रतिशत आय पर आय		2,56,20,042
	सफल वार्षिक आय योगदान के लिए प्रभाव		4,71,29,81,355
	धारा 58 की उपधारा (1) के तहत निर्धारित दर पर योगदान की राशि और योगदान की कुल वार्षिक आय का 2% देय		9,42,59,627

"प्रमाणित किया गया है कि उपरोक्त अनुसूची के तहत स्वीकार्य कटौती का दावा करते हुए, हमने अनुसूची में उल्लिखित किसी भी वस्तु के विरुद्ध दो बार पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी राशि का दावा नहीं किया है, जिसमें दोहरा कटौती का प्रभाव है।"

कुले एन ई आई ए ट्रस्ट

एन ई आई ए ट्रस्ट की तरफ से अनुमति
कुले एन एन मारु & के
संनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 106069 W

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

(एम सैयिदनाथन)
ट्रस्टी

(गीता मुरलीधर)
ट्रस्टी

(डेविड रस्किना)
ट्रस्टी

एन एन मारु
भागीदार एम सं. 033246

दिनांक 23-09-2019

स्थान मुंबई

एन ई आई ए ट्रस्ट

c/o ईसोसोसो लिमिटेड, 10वीं मंजिल, एक्सप्रेस टॉवर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021



SCHEDULE IX -C


Statement of income of the public trust liable to contribution for the year ended 31/03/2019


Name and Registered No of Public Trust : NEIA TRUST

Regn. No.- E 23382

		Rs.	Rs.
I	Income is shown in the Income and Expenditure Account (Schedule IX)		4,73,86,01,397
II	Items not chargeable to contribution under section 58 and rule 32		
	(i) Donations received from other public trust and Dharmads		
	(ii) Grant received from Government and local authorities		
	(iii) Interest on Sinking or Depreciation Fund		
	(iv) Amount spent for the purpose of secular education		
	(v) Amount spent for the purpose of medical relief		
	(vi) Amount spent for the purpose of veterinary treatment of animals		
	(vii) Expenditure incurred from donations for relief of distress caused by scarcity, drought, flood, fire or other natural calamity		
	(viii) Deduction out of income from lands used for agricultural purpose -		
	(a) Land revenue and Local Fund Cess		
	(b) Rent payable to superior landlord		
	(c) Cost of production if lands are cultivated by the trust		
	(ix) Deductions out of income from lands used from non agricultural purpose -		
	(a) Assessment, cesses and other Government or municipal taxes		
	(b) Ground rent payable to the superior landlord		
	(c) Insurance premia		
	(d) Repairs at 10 per cent of gross rent of buildings		
	(e) Cost of collection at 4 per cent of gross rent of building let out		
	(x) Cost of collection of income or receipt from securities, stocks etc. at one percent of such income 1% of Interest Income of Rs. 2,56,20,04,204.97	2,56,20,042	
	(xi) Deductions on account of repairs in respect of buildings not rented and yielding to income, at 10 per cent of the estimated gross annual rent		2,56,20,042
	Gross annual income chargeable to contribution		4,71,29,81,355
	Amount of contribution computed at the rate fixed under the sub-section (1) of section 58 and payable 2% of Gross annual income chargeable to contribution		9,42,59,627

"Certified that while claiming deductions admissible under the above Schedule, we have not claimed any amount twice, either wholly or partly, against any of the items mentioned in the Schedule which have the effect of double deduction."


(M. Senthilnathan)
Trustee

For NEIA Trust

(Geetha Muraidhar)
Trustee


(David Rasquinha)
Trustee

As per our report of even date,
For L N Maru & Co
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 106069
L N Maru
Partner - M. No. 033246



Dated: 23/09/2019
Place: MUMBAI

NEIA Trust
C/o ECGC Limited, 10th Floor, Express Towers, Nariman Point, Mumbai 400 021



एन ई आई ए ट्रस्ट

31मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

क. पृष्ठ भूमि

1. क) ट्रस्ट का गठन, राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य एवं वांछनीय मध्यम एवं दीर्घकालिक उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं, जिन पर पुनर्बीमा रक्षा उपलब्ध नहीं है अथवा जिनकी लागत बहुत अधिक है एवं जो अल्पकालिक निर्यातों हेतु लाभकारी हैं, ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। ट्रस्ट समझौते के अनुसार, ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तदनुसार, भारत सरकार (भा स) द्वारा संकल्प संख्या 616/2009-ई एंड एमडीए दिनांक 12.2.2009 के जरिये एक मद को इसमें शामिल किया गया था जिसके अनुसार (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) निर्यातकों एवं ईसीजीसी द्वारा बीमांकित कुछ विशिष्ट व्यापारों जैसे कपड़ा, आभूषण आदि के गैर-एमएसएमई निर्यातकों के लिए 5 प्रतिशत की अतिरिक्त रक्षा प्रदान की जानी होगी (2) ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा बीमांकित बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा रक्षा (ईसीआईबी) के अधीन संरक्षित बैंकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त रक्षा प्रदान की जानी होगी।
2. एनईआईए ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट पंजीकरण कार्यालय, ग्रेटर मुंबई क्षेत्र, मुंबई के साथ 8 मई, 2006 को पंजीकरण संख्या: -ई 23382 के साथ ट्रस्ट डीड दिनांक 21 मार्च, 2006 और संशोधित ट्रस्ट डीड दिनांक 29 मार्च 2006, के साथ एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में भारत



के राष्ट्रपति के के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) के माध्यम से पंजीकृत किया गया है। । इसके अलावा, लाभ के लिए योजना स्कीम अपील संख्या 7/2010 में चेरिटेबल ट्रस्ट के सहायक आयुक्त के आदेश के अनुसार बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 की धारा 50 ए के तहत अल्पकालिक निर्यात हेतु किया गया है।

3. ट्रस्ट कार्यालय हेतु स्थल , कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एवं अन्य संबंधित बुनियादी संरचना सहित सभी स्थापना लागत ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कारवाई जाती है एवं वहन की जाती है।

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार: वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुकरण में उपचय आधार पर तैयार किए जाते हैं एवं भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के सभी पहलुओं का पूर्ण अनुपालन किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग :

सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों , के अनुरूप वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति हेतु , वे अनुमान एवं मान्यताएँ आवश्यक हैं जो रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तारीख के दौरान आस्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट की गयी राशि तथा राजस्व एवं व्ययों की रिपोर्ट की गयी राशि की प्रस्तुति को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम और



अनुमानों के बीच के अंतर को उसी अवधि के दौरान पहचाना जाता है जिस अवधि में परिणाम ज्ञात / घटित होते हैं।

3. राजस्व मान्यता :

ब्याज एवं अन्य आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है।

4. गारंटी शुल्क (अन्य) की गणना:

सहायता के रूप में , भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) एवं अन्य से प्राप्त गारंटी शुल्क को रक्षा अवधि के आनुपातिक आधार पर विभाजित किया गया है।

5. गारंटी शुल्क (ईसीजीसी) की गणना:

वर्ष के दौरान सहायता के रूप में , ईसीजीसी लिमिटेड को प्रदान की गई गारंटी शुल्क को रक्षा की अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से विभाजित किया गया है।

6. दावों के कारण उत्पन्न देयता :

वर्ष के अंत तक ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा प्रदत्त दावों के संबंध में बकाया दावों की देयता की गणना अधिकतम जोखिम ग्राह्यता की सीमा तक की जाती है।

7. कराधान हेतु प्रावधान

वर्तमान लेखा वर्ष हेतु कर योग्य लाभ के आधार पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर के प्रावधान किए गए हैं।

8. प्रशासनिक प्रभार



इस ट्रस्ट के संचालन एवं स्थापना लागत एवं इसकी योजना के संचालन संबंधी व्यय का वहन ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसके लिए यह समग्र गारंटी शुल्क के 5% के सेवा प्रभार पाने का हकदार है। ईसीजीसी लिमिटेड को प्रभारित उक्त प्रभार की पहचान रक्षा की अवधि के दौरान की जाती है।

ख. लेखों का भाग बनने वाली टिप्पणियाँ :

1. यह ट्रस्ट , बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के पास पंजीकृत नहीं है। पंजीकरण के संबंध में , ट्रस्ट द्वारा स्पष्टीकरण के लिए आर आर डी ए आई से संपर्क किया गया है, इस संबंध में सूचना प्रतीक्षित है
2. ट्रस्ट द्वारा गारंटी शुल्क की प्राप्ति पर कुछ रक्षाओं के लिए ईसीजीसी लिमिटेड को गारंटी प्रदान की है। इस व्यवस्था संबंध में आई आर डी ए आई को आवश्यक सूचना दे दी गयी है। ट्रस्ट को , वर्ष के दौरान, ईसीजीसी लिमिटेड से गारंटी शुल्क के रूप में रु. 1,51,92,830/- की राशि प्राप्त हुई, जिसमें से रु. 1,04,10,453/- चालू वर्ष के लिए है एवं शेष रु. 47,82,377/- की राशि को गारंटी रक्षा की शेष अवधि के लिए विभाजित किया जाएगा। चालू वर्ष के लिए रु 3,54,79,602/- की कुल गारंटी शुल्क आय है, जिसमें पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त अग्रिम गारंटी शुल्क में से चालू वर्ष के लिए आवंटित रु. 2,50,69,149/- की राशि भी शामिल है। इस राशि को आय और व्यय खाते में अलग से दर्शाया गया है।



3. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 की धारा 58 के प्रावधानों के अधीन , ट्रस्टों द्वारा अधिनियम की अनुसूची IXC के अंतर्गत दर्शाई गई आय के 2% के हिसाब से लोक न्यास प्रशासन कोष (पब्लिक ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फंड) में योगदान करना आवश्यक है। एक अन्य ट्रस्ट ने उक्त प्रावधान को चुनौती दी थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रस्ट के पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी किया था। जहां तक एनईआईए ट्रस्ट का संबंध है, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, इसमें लोक न्यास प्रशासन कोष को देय 40,09,64,008/- रुपये की राशि (चालू वर्ष के प्रावधान सहित रु. 9,42,59,627/-) का प्रावधान है एवं जिसके लिए उक्त मामले पर अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण अभी तक कोई योगदान नहीं दिया गया है।
4. क) ट्रस्ट के वर्ष 2009-10 तक के आयकर मूल्यांकन का मूल्यांकन आय मेन बिना किसी समायोजन/परिवर्तन के हुआ। तत्पश्चात, निर्धारण वर्ष 2010-2011 से 2015-16 तक, आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11 के तहत ट्रस्ट द्वारा दावा की गई छूट इस आधार पर प्रदान नहीं की है कि धारा 2(15) अधिनियम में के निर्धारण वर्ष 2009-2010 से चेरिटेबल उद्देश्य की परिभाषा बदल गई है और इसलिए, ट्रस्ट द्वारा की जाने वाली गतिविधि "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति" के लिए नहीं है। इस तरह की छूट से इनकार करने के परिणामस्वरूप उक्त अवधि के लिए 410.87 करोड़ रुपये की कुल आयकर मांग हुई जो कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण सहित अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपील में विवादित हैं। निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अपीलों के लम्बित रहने के दौरान ट्रस्ट ने रु. 138.72 करोड़ (ब्याज सहित) भुगतान किया है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील लंबित निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए अधिनियम



की धारा 271 (1) (सी) में 72 करोड़ रुपये की पेनल्टी का भुगतान विरोध दर्शाते हुए किया गया है।

ख) ट्रस्ट के इस तर्क पूर्वाग्रह के बिना कि वह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुओं की उन्नति" मानते हुए लाभ के लिए पात्र है, सावधानी के तौर पर :

(i) निर्धारण वर्ष 2012-13 से निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कर और उस पर ब्याज की स्व-गणना की है और उसका भुगतान किया है;

(ii) निर्धारण वर्ष 2015-16 से निर्धारण वर्ष 2018-19 तक प्रभावी, ट्रस्ट प्रासंगिक वर्षों के लिए आय की गणना के आधार पर अग्रिम कर किस्तों का भुगतान किया जा रहा है।

ग) ट्रस्ट द्वारा 410.87 करोड़ रुपये (जुर्माना सहित) की कुल कर देयता, जैसा कि पहले पैरा 1 में संदर्भित है, के लिए प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि ट्रस्ट को सलाह दी गई है कि वे धारा 2(15) के तहत "चेरिटेबल उद्देश्य" की परिभाषा के अंतर्गत हैं और इसलिए, अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होंगे। मूल्यांकन वर्ष 2010-11 के लिए दिनांक 12-07-2018 को आई टी ए टी बेंच के द्वारा सुनवाई पूर्ण हुई। दिनांक 18-01-2019 को आई टी ए टी द्वारा एन ई आई ए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। आई टी ए टी के मत में एन ई आई ए ट्रस्ट चेरिटेबल ट्रस्ट की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

5. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11के प्रावधान के अनुसार 26,69,12,343/- रु का संचयन (वित्तीय वर्ष 2012-13 से अगले पाँच वर्षों भीतर उपयोग करने हेतु अलग



रखे गए एवं यदि पाँच वर्षों के दौरान उपयोग न किया गया तो छठवें वर्ष से करयोग्य माना जाएगा) को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ट्रस्ट द्वारा जारी कुल रक्षाएं (ट्रस्ट का उद्देश्य में निहित होने के कारण) वर्ष 31.03.2014 तक 7036 करोड़ रु, वर्ष तक 31.03.2015 तक 8635.50 करोड़ रु , वर्ष 31.03.2016 तक 9227.83, 31-03-2017 तक 17395.86 , 31-03-2018 को 24028.94 करोड़ रु एवं 31-03-2018 को 24059.35 करोड़ रु को ध्यान में रखते हुए न्यासियों की राय में संचित आय का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है एवं अधिनियम की धारा 11(3) के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे अतः उसे वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान संभावित आय नहीं माना गया है।

6. लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक में लेखा परीक्षा शुल्क के रूप में 55,000 रुपये एवं कर लेखा परीक्षा शुल्क के रूप में 15,000 रुपये (जीएसटी को छोड़कर) शामिल हैं।

7. क) 26 AS ट्रेसेस (टीडीएस समाधान विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली) के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2018-19 हेतु 60.78 करोड़ रु का आयकर वापसी एवं 3,59,69,289/- रु के ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज राशि 3,59,69,289/- रु. ब्याज राशि को वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आय में शामिल नहीं किया गया था अतः वर्तमान वित्त वर्ष 2018-19 में इस राशि को पूर्वाधि आय में शामिल किया गया है।

ख) मूल्यांकन वर्ष 2019-20 हेतु 26 AS ट्रेसेस (टीडीएस समाधान विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली) के अनुसार निम्नलिखित राशि दर्शाई गई हैं :

(राशि रु में)

क्रस	निर्धारण वर्ष	प्रणाली	वापसी राशि	ब्याज	भुगतान की तारीख



1.	2016-17	ई सी एस	67,50,07,280	7,23,22,200	06-06-2018
2.	2015-16	ई सी एस	63,85,93,370	2,25,58,438	19-02-2018
3.	2014-15	ई सी एस	2,36,10,269	-	01-02-2018
कुल			133,72,10,919	9,48,80,638	

मूल्यांकन वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्त 5,95,10,564/- की वापसी राशि को बकाया मांग में समायोजित किया गया है। मूल्यांकन वर्ष 2015-16 एवं 2014-15 के लिए प्राप्त वापसी राशि को भी बकाया मांग में समायोजित किया गया है एवं कोई वास्तविक राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः वर्ष के दौरान 9,48,80,638/- रु की वापसी कर पर ब्याज प्राप्त आय माना गया है।

उपरोक्त क व ख में से, 13,08,49,927/- रु (3,59,69,289 रु एवं 9,48,80,638/-) की राशि को वर्ष के दौरान आयकर वापसी पर ब्याज आय में शामिल किया गया है। चूंकि 5,95,10,564/- रु वास्तव में प्राप्त हुए अतः शेष राशि 7,13,39,363/- रु को वर्तमान आस्तियों में आयकर वापसी पर प्राप्त ब्याज मद में शामिल किया गया है।

8. चालू वर्ष के दौरान, ब्याज आय रु. 256.20 करोड़ को आय और व्यय खाते में उपचय के आधार पर गणना की गई है, हालांकि 26AS (आयकर विभाग द्वारा ऑनलाइन जारी) के अनुसार ब्याज आय रु 292.08 करोड़ परिलक्षित होती है। यह अंतर इस कारण है कि प्रत्येक बैंक स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की राशि की गणना के लिए अलग-अलग पद्धति अपनाता है।



9. वित्त वर्ष 2015-16 व 2017-18 के वित्तीय विवरण चेरिटी कमिश्नर, बॉम्बे ट्रस्ट के कार्यालय में उपयुक्त रूप से दर्ज किए गए ।

10. प्रबंधन द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED) के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के पास उनके पंजीकरण के संबंध में पुष्टि करने हेतु निर्देश दिये गए हैं। हालांकि, किसी भी पक्ष द्वारा अभी तक संबन्धित अधिनियम के अधीन इसके पंजीकरण की पुष्टि नहीं की गयी है। तदनुसार, इस संबंध में कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई! लेखापरीक्षकों द्वारा प्रबंधन के उक्त स्पष्टीकरण पर अपना विश्वास जताया गया है।

कृते एन ई आई ए ट्रस्ट

हस्ताक्षरित

(एम सैथिलनाथन)

हस्ताक्षरित

(गीता मुरलीधर)

हस्ताक्षरित

(डेविड रस्किना)

दिनांक : 23 सितंबर 2019

स्थान : मुंबई



NEIA TRUST

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

A. BACKGROUND

1. The trust is formed with the objective to ensure the availability of credit risk cover for the medium and long term high value projects which are commercially viable and desirable from the point of view of national interest where reinsurance cover is not available or its cost is very high and also for the benefit of short -term exports. As per the Trust Deed, the trust is also required to follow any other instructions as given by the Government of India from time to time. Accordingly, the Govt. of India (GOI) had vide Resolution No.616/2009-E&MDA dated 12.2.2009 added one more object as per which (1) additional cover of 5 per cent to be provided to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) exporters and also Non-MSME exporters of certain specified trades like Textiles, Jewellery, etc: underwritten by ECGC. (2) Additional cover of 10 per cent to banks who are covered under Export Credit Insurance for Banks (ECIB) underwritten by ECGC of India Ltd.
2. The NEIA trust has been registered as a Public trust with the Public Trusts Registration Office, Greater Mumbai Region, Mumbai on 8th May, 2006 with registration no:-E 23382 vide trust deed dated 21st March, 2006 and modified trust deed dated 29th March, 2006 entered into between The President of India, acting through the Joint Secretary, Dept. of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India and the ECGC Limited. Further, scheme for benefit for short term export has been settled u/s 50A of the Bombay Public Trust Act, 1950 as per order of Assistant Commissioner of Charitable Trust in Scheme Appl. No 7/2010.
3. All the initial setting up costs including setting up of the trust office, computer hardware and software and other related infrastructure are provided and borne by ECGC Limited.



B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

1. **Basis of Accounting:** The Financial statements are prepared on accrual basis on historical cost convention and comply in all material aspects with the accounting principles accepted in India.

2. **Use of estimates :**

The presentation of financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made that affects the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenue and expenses during the reported period. Differences between the actual result and estimates are recognized in the period in which the results are known / materialized.

3. **Revenue Recognition :**

Interest and other income is accounted on accrual Basis

4. **Guarantee Fee (Others) Accounting :**

Guarantee fees from Exim Bank of India and others received towards support provided is apportioned prospectively for the remaining period of cover.

5. **Guarantee Fees (ECGC) Accounting:**

Guarantee fees received during the year towards the support provided to ECGC Limited is apportioned prospectively for the remaining period of cover.

6. **Liability on account of claims:**

Liability towards outstanding claims at the end of the year is made in respect of the claims provided by ECGC Limited maximum to the extent of exposure.

7. **Provision for Taxation**

Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. However, refer note 4 and 5 of Part C.

8. **Administrative Charges**

The administrative & establishment costs of the trust and cost of administering its scheme is borne by ECGC Limited against which it is entitled for service charges at 5% of the gross guarantee fees. The said charges paid to ECGC Limited are recognized over the period of the covers.



C. NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS:

1. The Trust is not registered with the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). The Trust has written to the IRDA for seeking clarifications regarding registration but no communication is received by the Trust in these regards.
2. The Trust has given Guarantee to ECGC Limited for a few covers on receipt of Guarantee Fee. This arrangement has been notified to IRDA. During the year, Trust has received Rs. 1,51,92,830 as Guarantee Fee from ECGC Limited out of which Rs. 1,04,10,453 is for the current year and remaining amount of Rs. 47,82,377 is allocated for future years till the validity period of guarantee cover. The total guarantee fee income for the current year is Rs.3,54,79,602 which includes amount of Rs. 2,50,69,149 allocated for current year out of the advance guarantee fee received during the previous years. This amount has been shown separately in the Income & Expenditure account.
3. Under provisions of section 58 of Bombay Public Trust Act 1950, Trusts are required to make contribution to Public Trust Administration Fund @ 2% of the Income shown under Schedule IXC of the Act. Another Trust had challenged the said provision and the Hon'ble Supreme Court issued a Stay order in favor of the Trust. In so far as NEIA trust is concerned, as on March 31, 2019 it holds provision amounting to Rs. 40,09,64,008 payable to the Public Trust Administration Fund (including current year provision Rs. 9,42,59,627) and towards which no contribution is yet made pending final judgment on the said matter.
4. a) Income tax assessments of the Trust were completed up to assessment year 2009-2010 without any adjustment / additions to the income. Thereafter, effective from assessment year 2010-2011 to 2015-2016, the tax department has not granted exemption claimed by the Trust under Section 11 of the Income Tax Act, 1961 (the Act) on the ground that post-amendment of section 2(15) of the Act effective from assessment year 2009-2010, the definition of charitable purpose has changed and hence, the activity carried on by it is not for "advancement of any other object of general public utility". Denial of such exemption has resulted into aggregate tax demands of Rs.410.87 Crores for the said period which are disputed in appeals before the Appellate Authorities including Income Tax Appellate Tribunal. During the pendency of the appeals for assessment years 2012-13 to 2014-15, the Trust has



paid Rs. 138.72 Crores (including interest). The Trust under protest has also paid penalty u/s. 271(1)(c) of the Act of Rs.72 Crores in respect of assessment year 2010-2011 pending the appeal before the Income Tax Appellate Tribunal.

b) Without prejudice to the contention of the Trust, that it is eligible for benefit u/s. 11 of the Act as the same is engaged in the "advancement of the objects of general public utility", as a matter of abundant caution:

- (i) It has self-computed the tax plus interest thereon for assessment year 2012-13 to assessment year 2014-15 and paid the same;
- (ii) Effective from assessment year 2015-16 to assessment year 2018-19, the Trust has been paying the advance tax installments based on the computation of income for the relevant years.

c) The Trust has not provided for the aggregate tax liability of Rs. 410.87 crores (including Penalty) as referred to earlier in para 1 as the Trust has been advised that they are covered by the definition of "Charitable Purpose" u/s 2(15) and hence, eligible for the benefit u/s. 11 of the Act. The hearing for AY 2010-11 was heard and completed in the ITAT Bench for AY 2010-11 on 12.07.2018. ITAT pronounced the order on 18.01.2019 in favour of the NEIA Trust. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust.

5. In terms of provision of Section 11 of the Income Tax Act, 1961, the accumulation of Rs.26,69,12,343 (set apart in Financial Year 2012-13 for utilization within next 5 Years and taxable as deemed income in sixth year, if remain unutilized) is not considered as deemed income during Financial Year 2018-19, Keeping in view of the fact that total insurance covers issued by the Trust (being the object of the Trust) was of Rs.7,036 Crores as of 31-03-2014, Rs. 8,635.50 Crores as of 31-03-2015, Rs.9,227.83 Crores as of 31-03-2016, Rs.17,395.86 Crores as of 31-03-2017, Rs.24,028.94 Crores as of 31-03-2018 and 24059.35 Crores as of 31-03-2019 in the opinion of the Trustees, the income accumulated stands utilized and provision of Section 11(3) of the Act is not attracted.
6. Auditor's remuneration includes Audit Fees Rs 55,000 and tax audit fees Rs 15,000 (excluding GST).
7. (a) As per the 26AS of TRACES (TDS Reconciliation Analysis an Correction Enabling System) for the Assessment Year 2018-19 there was an Income Tax refund



of Rs. 60.78 Crores and an interest of Rs. 3,59,69,289 thereon. The interest of Rs. 3,59,69,289 was not accounted for during the FY 2017-18 hence, the same has been booked as prior period income during the current year FY 2018-19.

(b) The following amounts have been shown as Income Tax refund as per Form 26AS of TRACES (TDS Reconciliation Analysis an Correction Enabling System) for the Assessment Year 2019-20:

(Amount in Rs.)					
Sr. No.	Assessment Year	Mode	Amount of Refund	Interest	Date of Payment
1	2016-17	ECS	67,50,07,280	7,23,22,200	06-06-2018
2	2015-16	ECS	63,85,93,370	2,25,58,438	19-02-2018
3	2014-15	ECS	2,36,10,269	-	01-02-2018
Total			133,72,10,919	9,48,80,638	

Out of refund for AY 2016-17, Rs.5,95,10,564 has been realized and rest has been adjusted against outstanding demands. Refund for AY 2015-16 and AY 2014-15 have also been adjusted against outstanding demands and no amount has been actually realized. Hence, Rs. 9,48,80,638 has been booked as interest on tax refund during the year.

Out of (a) and (b) above, total of Rs. 13,08,49,927 (Rs. 3,59,69,289 plus Rs. 9,48,80,638) has been booked as interest on tax refund during the current year. As only Rs.5,95,10,564 has been actually realized, the balance amount of Rs. 7,13,39,363 has been booked as interest on tax refund receivable under current assets.

8. During the current year, interest income of Rs. 256.20 Crore is booked on the accrual basis in Income and Expenditure Account, though as per 26AS of TRACES (TDS Reconciliation Analysis an Correction Enabling System) interest income of Rs. 292.08 Crore is reflected. This is due to the fact that each bank adopts different methodology for calculating the amount of Tax Deducted at Source (TDS).
9. The financial statements from FY 2015-16 to FY 2017-18 have been duly filed with the office of charity commissioner, Bombay Trust.
10. The management has asked for confirmation from its suppliers regarding their registration with-competent authorities under Micro, Small and Medium Enterprises



Development Act, 2006 (MSMED). However, no party has confirmed its registration under the act. Accordingly no further information is submitted in this regards. The auditors have relied on the said submission of the management.

For NEIA TRUST


(M. Senthilnathan)


(Geetha Muralidhar)


(David Rasquinha)

Date: 23rd September, 2019
Place: Mumbai



फॉर्म सं . 10B
(नियम 17 बी देखें)

चैरिटेबल अथवा धार्मिक ट्रस्ट अथवा संस्थाओं के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए (बी) के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट,

1. हमने 31 मार्च, 2019 को एनईआईए ट्रस्ट की तुलन पत्र एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते की जांच की है, जो उक्त ट्रस्ट अथवा संस्थान द्वारा बनाए गए खाते बहियों के अनुरूप हैं।
हमने वे सभी जानकारियाँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे। हमारी राय में, हमारे द्वारा जाँचे गए बहियों से साबित होता है कि ऊपर उल्लिखित ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय व उक्त ट्रस्ट की उन शाखाओं में जिनका हमने दौरा किया गया वहाँ लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है एवं जिनका दौरा नहीं किया गया वहाँ से लेखा परीक्षा के उद्देश्य से उचित एवं पर्याप्त विवरणियाँ प्राप्त की गयी।
2. हमारी राय में एवं हमारे सर्वोत्तम जानकारी में हमें प्रदान की गयी जानकारी के अनुसार उक्त खातों में निम्न का उचित एवं स्पष्ट उल्लेख किया गया है :-
 - (i) तुलन पत्र के अनुसार उक्त ट्रस्ट के संव्ययहार दिनांक 31.03.2019 तक उल्लिखित हैं;
 - (ii) आय एवं व्यय के विवरणों के संबंध में मैं 31 मार्च 2019 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए अधिशेष अथवा घाटा विवरण उल्लिखित है ;
3. निर्धारित विवरण इसके साथ संलग्न है
4. ट्रस्ट के मूल्यांकन अधिकारी (ए ओ) एवं ट्रस्ट के बीच निम्न मतभेद हैं :-
 - (क) क्या ट्रस्ट के उद्देश्य , आय कर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 2(15) में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार “ चैरिटेबल उद्देश्य “ से मेल खाते हैं;
 - (ख) क्या “ कुल आय “ की गणना अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के आधार पर की गयी है;



4.1 ए ओ की राय में :

(क) अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधान के अनुसार ट्रस्ट के उद्देश्य पर " चैरिटेबल उद्देश्य " लागू नहीं होता;

(ख) अतः ट्रस्ट की आय के निर्धारण के समय अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं।

(ग) आगे , भारत के केंद्र सरकार से प्राप्त एवं ट्रस्ट के खाते में जामा राशि को ट्रस्ट की आय के रूप में गणना की गयी है।

4.2 उक्त राय के अनुसार, आय का आकलन 31 मार्च, 2010, 31 मार्च, 2011, 31 मार्च 2012, 31 मार्च, 2013 एवं 31 मार्च, 2014 को समाप्त पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए किया गया है। ट्रस्ट द्वारा अपीलीय अधिकारियों के समक्ष ए ओ की राय का विरोध किया गया।

4.3 ट्रस्ट के इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि ट्रस्ट का उद्देश्य अधिनियम की धारा 2(15) में परिभाषित अनुसार "चैरिटेबल उद्देश्य " है एवं तदनुसार अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को इसके आय की गणना के समय लागू कर इसकी आय की गणना की गयी है , हमें ट्रस्ट के अनुरोध पर निर्धारित फॉर्म सं 10बी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

कृते एल एन मारु & कं
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण सं 106069W

हस्ताक्षरित

सी ए एल एन मारु
भागीदार
सदस्यता संख्या 033246

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23 सितंबर 2019

यू डी आई एन : 19033246 ए ए ए ए ई 6575





L N MARU & Co

Chartered Accountants

220, Wadala Udyog Bhavan, MMGS Marg, Dadar-Wadala, Mumbai - 400 031. Office : 022-2412 2382
Email : info@calnmaru.com | Website : www.calnmaru.com

FORM NO. 10B
(See Rule 17B)

Audit report under section 12A(b) of the Income-tax Act, 1961, in the case of charitable or religious trust or institutions

1. We have examined the Balance Sheet of NEIA Trust as at 31st March, 2019 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said Trust or Institution.

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In our opinion, proper books of account have been kept by the Head Office of the above-named Trust visited by us so far as appears from our examination of the books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received.

2. In our opinion and to the best of our information, and according to information given to us, the said accounts give a true and fair view –
- In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the above named Trust as at 31-03-2019, and
 - In the case of the Income and Expenditure Account, of the surplus or deficit of its accounting year ended 31st March, 2019.

3. The prescribed particulars are annexed hereto.

4. There is a difference of opinion between the Assessing Officer (AO) of the Trust and the Trust as to following:

- Whether the objects of the Trust are "Charitable Purpose" keeping in view the definition thereof in Section 2(15) of the Income Tax Act, 1961 (the Act).
- Whether the provisions of Section 11 of the Act have to be applied in determining "Total Income".

- 4.1 In the opinion of the AO:

- the objects of the Trust are not "Charitable Purpose" keeping in view the applicability of Proviso to Section 2(15) of the Act.



(b) Hence, provisions of Section 11 of the Act have not to be applied in determining income of the Trust.

(c) Further, in that event the amount received from Central Government of India accounted to the credit of Trust Fund is to be assessed as Income.

4.2 In terms of the said opinion, the assessment of income is made for previous year(s) ended up to 31st March, 2010, 31st March, 2011, 31st March 2012, 31st March, 2013 and 31st March, 2014. The opinion of AO is contested by the Trust before appellate authorities.

4.3 Pending finality in the matter, keeping in view the contention of the Trust that its objects are of "Charitable Purpose" as defined in Section 2(15) of the Act and accordingly the provisions of Section 11 of the Act have to be applied in assessment of its income, we have issued Report in prescribed Form No.10B, at the request of the Trust.

For L N Maru & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No.106069W



CA L N Maru
Partner
Membership No. 033246

Place: Mumbai

Date: 23rd September, 2019

UDIN: 19033246AAAAAE6575



अनुबंध

विवरण

I. चैरिटेबल अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आय की गणना		
1	वर्ष के दौरान भारत में चैरिटेबल अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू पिछले वर्ष की आय की राशि	: अनुलग्नक "क" देखें
2	क्या ट्रस्ट/संस्था द्वारा धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया गया है? यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान भारत में चैरिटेबल अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए लागू की गई आय की राशि का विवरण।	: नहीं
3	चैरिटेबल अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए संचित अथवा अलग / अंतिम रूप से अलग की गई आय की राशि, जो कि ट्रस्ट के अधीन पूर्णतः / आंशिक रूप से केवल इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए धारित संपत्ति से प्राप्त आय के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।	: अनुलग्नक "ख" देखें
4	धारा 11(1)(सी) के अधीन छूट के लिए पात्र आय की राशि (विवरण दें)	: कुछ नहीं
5	उक्त मद सं 3 में उल्लिखित , धारा 11(2) के अधीन निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए संचित अथवा अलग से रखी गयी राशि के अलावा अन्य आय की राशि,	: अनुलग्नक "ग" देखें कुछ नहीं नोट : अनुबंध ख का नोट सं 3 देखें
6	क्या उक्त उल्लिखित मद सं 5 में उल्लिखित आय का निवेश धारा 11(2) (बी) में उल्लिखित पद्धति के अनुसार किया गया? यदि हाँ तो उसके विवरण;	: लागू नहीं
7	क्या आय का कोई हिस्सा जिसके	: शून्य



	संबंध में किसी पूर्व के वर्षों में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया गया था, जिसे धारा 11(1बी) के अधीन पिछले वर्ष की आय माना जा सकता है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।	
8	क्या, पूर्व के वर्षों के दौरान, किसी वर्ष धारा 11(2) के अधीन निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आय के किसी हिस्से का संचयन किया गया था अथवा अलग रखा गया-	
(क)	चैरिटेबल अथवा धार्मिक उद्देश्यों के अलावा किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए आय की गणना की गयी है अथवा संचय किया जाना बंद कर दिया गया है अथवा	अनुलग्नक "घ" देखें
(ख)	किसी राशि का धारा 11(2)(बी)(i) में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूति में निवेश किया जाना बंद कर दिया गया है अथवा निवेशित है अथवा धारा 11(2)(बी)(ii) अथवा धारा 11(2)(बी) (iii), में संदर्भित किसी भी खाते में जमा है। अथवा	
(ग)	क्या वर्ष की समाप्ति के तत्काल पश्चात उसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है जिनके लिए उसका संचयन किया गया था अथवा	



	अलग रखा गया था,? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।	
II. धारा 13(3) में उल्लिखित व्यक्तियों की सुविधा हेतु आय अथवा संपत्ति की गणना अथवा उपयोग		
1	क्या पिछले वर्ष , धारा 13(3) (इसके बाद इस अनुबंध में ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित) में उल्लिखित अनुसार न्यास/संस्था की आय अथवा संपत्ति के किसी भाग को किसी व्यक्ति को ऋण के रूप में दिया गया था, अथवा दिया जाना जारी है? यदि हां, तो राशि, प्रभारित ब्याज दर एवं प्रतिभूति की प्रकृति, यदि कोई हो, का विवरण दें।	: नहीं
2	क्या पिछले वर्ष के दौरान न्यास/संस्था की कोई भूमि, भवन अथवा अन्य संपत्ति ऐसे किसी व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई अथवा उपलब्ध कराई जाती रही? यदि हां, तो संपत्ति का ब्यौरा दें एवं किराए अथवा मुआवजे की राशि, यदि कोई हो, का विवरण दें।	: नहीं
3	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति को वेतन, भत्ते अथवा अन्यथा किसी अन्य रूप में कोई भुगतान किया गया? यदि हां, तो विवरण दें।	: नहीं



4	क्या पिछले वर्ष के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति को ट्रस्ट/संस्था की सेवाएं उपलब्ध कराई गईं? यदि हां, तो पारिश्रमिक अथवा प्राप्त मुआवजे, यदि कोई हो, के साथ उसका विवरण दें।	:	नहीं
5	क्या पिछले वर्ष के दौरान ट्रस्ट/संस्थान द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति से कोई शेयर, प्रतिभूति अथवा अन्य संपत्ति खरीदी गई? यदि हां, तो भुगतान किए गए प्रतिफल के साथ उसका विवरण दें।	:	नहीं
6	क्या पिछले वर्ष के दौरान ट्रस्ट / संस्थान द्वारा या उसकी ओर से कोई शेयर, प्रतिभूति अथवा अन्य संपत्ति ऐसे किसी व्यक्ति को बेची गई? यदि हां, तो प्राप्त प्रतिफल के साथ उसका विवरण दें	:	नहीं
7	क्या न्यास/संस्था की कोई आय अथवा संपत्ति पिछले वर्ष के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में व्यपवर्तित की गई? यदि हां, तो आय की राशि या इस प्रकार व्यपवर्तित संपत्ति के मूल्य के साथ उसका विवरण दें।	:	नहीं
8	क्या पिछले वर्ष के दौरान न्यास/संस्था की आय अथवा संपत्ति का ऐसे किसी व्यक्ति के लाभ के लिए किसी अन्य प्रकार से उपयोग किया गया अथवा लागू किया	:	नहीं



गया? यदि हां, तो विवरण दें।					
III. पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान किसी भी समय धारित निवेश जिसमें धारा 13(3) में उल्लिखित व्यक्तियों का पर्याप्त हित निहित है					
क्र सं .	समाबंधित व्यक्ति का नाम एवं पता	जहां संबन्धित व्यक्ति कोई कंपनी हो तो धारित शेयरों की संख्या एवं श्रेणी	निवेश का अंकित मूल्य	निवेश से आय	क्या कॉलम सं 4 में उल्लिखित राशि पिछले वर्ष के दौरान संबन्धित व्यक्ति की पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक है - हाँ / न में उत्तर दें
1	2	3	4	5	6
- - - लागू नहीं - - -					

कृते एल एन मारू & कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 106069W

हस्ताक्षरित

सी ए एल एन मारू
भागीदार

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23/09/2019



ANNEXURE

Statement of particulars

I. APPLICATION OF INCOME FOR CHARITABLE OR RELIGIOUS PURPOSES			
1	Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during the year	:	Refer Annexure "A"
2	Whether the Trust / Institution has exercised the option under clause (2) of the Explanation to Section 11(1)? If so, the details of the amount of income deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year.	:	No
3	Amount of income accumulated or set apart / finally set apart for application to charitable or religious purposes, to the extent it does not exceed 25 per cent of the income derived from property held under Trust wholly / in part only for such purposes	:	Refer Annexure "B"
4	Amount of income eligible for exemption under section 11(1)(c) (Give details)	:	NIL
5	Amount of income, in addition to the amount referred to in item 3 above, accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2)	:	Refer Annexure "C" Nil Note: Refer Note No.3 of Annexure B.
6	Whether the amount of income mentioned in tem 5 above has been invested or deposited in the manner laid down in section 11(2)(b)? If so, the details thereof	:	NA



7	Whether any part of the income in respect of which an option was exercised under clause (2) Of Explanation to section 11(1) in any earlier year is deemed to be income of the previous year under section 11(1B)? If so, the details thereof.	: NIL
8	Whether, during the previous year, any part of income accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2) in any earlier year-	
(a)	Has been applied for purposes other than charitable or religious purposes or has ceased to be accumulated or set apart for application thereto, or	Refer Annexure "D"
(b)	Has ceased or remain invested in any security referred to in section 11(2)(b)(i) or deposited in any account referred to in section 11(2)(b)(ii) or section 11(2)(b)(iii), or	
(c)	Has not been utilized for purposes for which it was accumulated or set apart during the period for which it was to be accumulated or set apart, or in the year immediately following the expiry thereof? If so, the details thereof.	



II. APPLICATION OR USE OF INCOME OR PROPERTY FOR THE BENEFIT OF PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3)	
1	Whether any part of the income or property of the Trust / Institution was lent, or continues to be lent, in the previous year to any person referred to in section 13(3) (hereinafter referred to in this Annexure as such person)? If so, give details of the amount, rate of interest charged and the nature of security, if any. : No
2	Whether any land, building or other property of the Trust / Institution was made, or continued to be made, available for the use of any such person during the previous year? If so, give details of the property and the amount of rent or compensation charged, if any. : No
3	Whether any payment was made to any such person during to any such person during the previous year by way of salary, allowance or otherwise? If so, give details. : No
4	Whether the services of the Trust / Institution were made available to any such person during the previous year? If so, give details thereof together with remuneration or compensation received, if any. : No
5	Whether any share, security or other property was purchased by or on behalf of the Trust / Institution during the previous year from any such person? If so, give details thereof together with the consideration paid. : No



6	Whether any share, security or other property was sold by or on behalf of the Trust / Institution during the previous year to any such person? If so, give details thereof together with the consideration received.	:	No
7	Whether any income or property of the Trust / Institution was diverted during the previous year in favour of any such person? If so, give details thereof together with the amount of income or value of property so diverted.	:	No
8	Whether the income or property of the Trust / Institution was used or applied during the previous year for the benefit of any such person in any other manner? If so, give details.	:	No

III. INVESTMENTS HELD AT ANY TIME DURING THE PREVIOUS YEAR(S) IN CONCERNS IN WHICH PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3) HAVE A SUBSTANTIAL INTEREST

Sr. No.	Name and address of the concern	Where the concern is a company, number and class of shares held	Nominal value of the investment	Income from the investment	Whether the amount in Col.4 exceeded 5 per cent of the capital of the concern during the previous year - say Yes / No.
1	2	3	4	5	6
- - - NOT APPLICABLE - - -					

For L N Maru & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No 106069W

CA L N Maru
Partner




Place: Mumbai
Date: 23/09/2019



अनुबंध क			
एन ई आई ए न्यास (ट्रस्ट)			
31 मार्च 2019 को समाप्त लेखा वर्ष			
मूल्यांकन वर्ष 2019-20			
1	वर्ष के दौरान चेरिटेबल अथवा धार्मिक उद्देश्य से लागू पिछले वर्ष की आय :-		
	विवरण	राशि रु में	राशि रु में
	धारा 10, 11 & 12 के संदर्भ में सकल आय	4,73,86,01,397	
	घटाएँ		
	वर्ष के दौरान ट्रस्ट के उद्देश्यों पर किया गया व्यय	5,45,01,22,605	
		चालू वर्ष की आय तक प्रतिबंधित	4,73,86,01,397
क	31-03-2019 को समाप्त वर्ष के दौरान आय का उपयोग		4,73,86,01,397
2	वर्ष के दौरान लागू आय की मात्रा निर्धारित करने हेतु 31 मार्च, 2019 तक के निम्नलिखित के कुल शेष में परिवर्तन: -		
	विवरण	राशि रु में	राशि रु में
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		
	बैंकों के पास मियादी जमा	34,69,96,00,000	
	आय कर भुगतान	7,14,69,18,758	
	पूर्व अदा किए गए व्यय	17,10,70,359	
			42,01,75,89,116
	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		
	बैंकों के पास मियादी जमा	34,34,84,00,000	
	आय कर भुगतान	6,42,35,00,212	
	पूर्व अदा किए गए व्यय	16,40,40,728	
			40,93,59,40,940.00
ख	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए सकल आय का उपयोग		1,08,16,48,176
2.1	यह सूचित किया जाता है कि कुल रु 1,08,16,48,176/- की वृद्धि को आय के उपयोग के रूप में माना जाना है।		
2.2	कानूनन सुस्थापित प्रस्तावना निम्नानुसार है:		
	(क) आवश्यक नहीं है कि "लागू" का अर्थ "व्यय" नहीं है		
	(ख) "लागू" शब्द को, निर्धारित प्रावधान के उद्देश्य के आधार पर व्यापक अर्थ प्रदान किया गया है।		
3	उपयोग की गई आय का कुल		
	क) उपरोक्त ख का संदर्भ लें		1,08,16,48,176.00
	ख) वर्ष के दौरान व्यय		5,45,01,22,605.00
			6,53,17,70,782



ANNEXURE "A"			
NEIA TRUST			
ACCOUNTING YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019			
ASSESSMENT YEAR : 2019-20			
1	Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during the year :-		
	Particulars	Amount in Rs	Amount in Rs
	Aggregate income referred to in sections 10, 11 & 12	4,73,86,01,397	
	Less:-		
	Expenditure Incurred on the objects of the Trust during the year	5,45,01,22,605	
	Restricted to the income of the current year.....		4,73,86,01,397
A	Application of Income for the year ended 31.03.2019		4,73,86,01,397
2	In quantifying the income applied during the year, increase in aggregate balances of the following as of 31st March, 2019 as		
	Particulars	Amount in Rs	Amount in Rs
	For the year ended 31.03.2019		
	Fixed Deposits with Banks	34,69,96,00,000	
	Income Tax Payments	7,14,69,18,758	
	Prepaid expenses	17,10,70,359	42,01,75,89,116
	For the year ended 31.03.2018		
	Fixed Deposits with Banks	34,34,84,00,000	
	Income Tax Payments	6,42,35,00,212	
	Prepaid expenses	16,40,40,728	40,93,59,40,940
B	Application of aggregate Income for the year ended 31.03.2019		1,08,16,48,176
1.1	It is submitted that such increase aggregating to Rs. 1,08,16,48,176/- has to be considered as application of income.		
2	Following are the well settled proposition in law:		
	(a) The word "applied" did not necessarily mean "spent".		
	(b) The word "application" has to be given wider interpretation, keeping in view the purpose for which the provision has been introduced.		
3	Total of Income Applied:		
	(a) Refer B Above		1,08,16,48,176
	(b) Expenditure incurred during the year		5,45,01,22,605
			6,53,17,70,782



अनुबंध ख
एन ई आई ए न्यास (ट्रस्ट)
31 मार्च 2019 को समाप्त लेखा वर्ष
मूल्यांकन वर्ष 2019-20

कुल आय की गणना का विवरण

विवरण	राशि रु में	टिप्पणी संदर्भ सं	राशि रु में	राशि रु में
आय एवं व्यय के खाते के अनुसार अधिशेष आय				4,73,86,01,397
घटाएँ : ट्रस्ट के उद्देश्यों पर किया गया व्यय				
नर्व के दौरान किया गया व्यय			5,45,01,22,605	
घटाएँ : सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासनिक निधि में अंगदान		2	9,42,59,627	(5,35,58,62,978)
				(61,72,61,582)
घटाएँ : धारा 11(1)(क)के अधीन जमा काले योग्य सकल आय यथा 4,69,45,43,519/- का 15%		3		(71,07,90,209)
घटाएँ : प्रभारित आय [अनुलनक क का संदर्भ ले]		4		(1,08,16,48,176)
देव कर की गणना				राशि
आय कर				कोई नहीं
घटाएँ : सोत पर कर कटौती			29,20,79,182	
घटाएँ : अग्रिम का			36,00,00,000	65,20,79,182
देव अर्जन				65,20,79,182

नोट

- संदर्भ : आय कर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार लागू**
- कर निर्धारिता का निपटान भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
- अधिनियम की धारा 2(15) के लागू प्रावधानों के संदर्भ में ट्रस्ट के उद्देश्य धर्मांतर उद्देश्य हैं अथवा नहीं, इसविषय में मूल्यांकन अधिकारी एवं ट्रस्ट के मध्य मतभेद हैं।
- मूल्यांकन अधिकारी की राय में, उक्त उप-अनुभाग के प्रावधान में ट्रस्ट का उद्देश्य चेंबिटेवल नहीं है, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्धारित राय के मतानुसार ट्रस्ट का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति के किसी अन्य उद्देश्य में श्रेणी में आते हैं।
- अतः, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पिछले वर्षों के लिए निर्धारिता की आय का आकलन करने में अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है।
- ट्रस्ट द्वारा अर्णीतीय अधिकारियों के समक्ष मूल्यांकन अधिकारी की उक्त कार्रवाई का विरोध किया गया है।
- दिनांक 18-01-2019 को आई टी ए टो द्वारा एन ई आई ए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। आई टी ए टो के मत में एन ई आई ए ट्रस्ट चेंबिटेवल ट्रस्ट की श्रेणी के अंतर्गत आता है।
- ऊपर बताई गई कुल आय ट्रस्ट के पूर्ण विचार पर आधारित है कि इसका उद्देश्य अधिनियम की धारा 2(15) के तहत परिभाषा के अनुसार चेंबिटेवल है और इसलिए, अधिनियम की धारा 11 को वर्ष के लिए आय का आकलन करने के लिए लागू किया जाना है।
- संदर्भ : सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) प्रशासनिक निधि को रु 9,42,59,627/- का अंगदान**
बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 की धारा 58 के प्रावधान के अधीन ट्रस्ट द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची IXC के अंतर्गत दराई गई आय के 2% की हिस्से को सार्वजनिक न्यास प्रशासनिक निधि में योगदान किया जाना अनिवार्य है। एक अन्य ट्रस्ट ने उक्त प्रावधान को चुनौती दी है एवं सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट के पक्ष में इस तरह के योगदान के भुगतान के लिए स्टैंड ऑर्डर जारी किया है। अंतिम निर्णय लंबित है। स्टैंड ऑर्डर के कारण संबंधित प्राधिकारी द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसलिए, यह योगदान लंबित रहा है। वर्ष के लिए कुल आय का निर्धारण करने में, उक्त योगदान को भुगतान की कमी के कारण महत्वपूर्ण कारक के रूप में कटौती योग्य नहीं माना गया है। इसमें निर्धारिता के तर्क का पूर्वाग्रह की इस प्रकार के प्रावधान को सांख्यिक माना जावे एवं इसे ट्रस्ट के उद्देश्यों पर किए जाने वाले व्यय में शामिल किया जावे एवं उसे वर्ष के दौरान हुई आय से उम्की कटौती की जावे।
- संदर्भ : सकल प्राप्तियों पर धारा 11(1)(ए)के अधीन धारता का आधार**
निम्नलिखित न्यायिक घोषणाओं पर विचारस किया गया है:
(क) आयकर आयुक्त बनाम सामुदायिक संगठन के लिए कार्यक्रम [248 आईटीआर 1] (एससी) 28.11.2000
(ख) आयकर आयुक्त बनाम सामुदायिक संगठन के लिए कार्यक्रम [228 आईटीआर 620] (केरल एससी) 25.10.1996
- 1,08,16,48,176/- रु का घाटा**
मूल्यांकनकर्ता की राय में ऊपर उल्लेखित "घाटे" और/या "घाटे" के रूप में मूल्यांकन किया जाए बिना जो बाद के वर्ष (वर्षों) में होने वाली कुल आय में सेट-ऑफ किया जा सकता है।



ANNEXURE - "B"
NEIA TRUST
ACCOUNTING YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019
ASSESSMENT YEAR : 2019-20

STATEMENT OF COMPUTATION OF TOTAL INCOME

Particulars	Amount in Rs	Note Ref No	Amount in Rs	Amount in Rs
Surplus as per Income & Expenditure Account				4,73,86,01,397
Less : Expenditure Incurred on the objects of the Trust				
Incurred during the year			5,45,01,22,605	
Less :Contribution to Public Trust Admin. Fund		2	9,42,59,627	(5,35,58,62,978)
				(61,72,61,582)
Less : Allowed to be accumulated under section 11(1)(a) of :				
15% of Gross Income i.e. of Rs. 4,69,45,43,519/-		3		(71,07,90,209)
Less : Income applied [Refer Annexure "A"]		4		(1,08,16,48,176)
COMPUTATION OF TAX PAYABLE				Amount
Income Tax				Nil
Less : Tax Deducted at Source			29,20,79,182	
Less : Advance Tax			36,00,00,000	65,20,79,182
Refund Due				65,20,79,182

Notes:

1 Re: Application of provisions of Section 11 of the Income Tax Act, 1961 (the Act):

- 1.1 The assessee is settled by the Government of India.
- 1.2 There is a difference of opinion by and between the AO and the assessee as to whether the objects of the assessee are charitable purposes within the meaning assigned to it in terms of the applicable provisions of Section 2(15) of the Act.
- 1.3 In the opinion of the AO, the objects of the assessee are not charitable purposes as the proviso to the said sub-section is applicable, Keeping in view the opinion formed by the AO that the objects of the assessee are falling in the category of advancement of any other object of general public utility.
- 1.4 Hence, the AO has not applied the provisions of Section 11 of the Act in assessing the income of the assessee for earlier years.
- 1.5 The assessee is contesting the said action of the AO before the appellate authorities.
- 1.6 ITAT has pronounced the order on 18.01.2019 in favour of the NEIA Trust. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust.
- 1.7 The total income quantified hereinabove is based on the bonafide belief of the assessee that its objects are charitable purposes as defined under Section 2(15) of the Act and hence, Section 11 of the Act has to be applied in assessing the income for the year.

2 Re: Contribution to Public Trust Admin. Fund of Rs.9,42,59,627/-

Under provision of section 58 of Bombay Public Trust Act 1950, Trust is required to make contribution to the Public Trust Administration Fund @ 2% of the income shown under schedule IXC of the said Act. Another Trust has challenged the said provision and Supreme Court has issued a stay order for payment of such contribution, in favour of the trust. Final judgment is pending. Due to stay granted, the concerned authority is not accepting payment. Hence, said contribution has remained unpaid. In determining total income for the year, the said contribution is considered as not deductible for want of payment as a matter of abundant cause. This is Without Prejudice to the contention of the assessee, that such provision being statutory provision has to be considered as expense incurred on objects of trust and Hence, be deducted in determining total income for the year.

3 Re: Basis of quantification u/s 11(1)(a) on Gross Receipts

Reliance is placed on following judicial pronouncements:

- (a) Commissioner of Income Tax v Programme for Community Organisation [248 ITR 1] (SC) 28.11.2000
- (b) Commissioner of Income Tax v Programme for Community Organisation [228 ITR 620] (Kerala HC) 25.10.1996

4 Deficit of Rs. 1,08,16,48,176/-

In the opinion of the assessee the "deficit" as determined above and/or "Deficit" as may be assessed be accorded to be carried forward for set-off in determining total income for the subsequent year(s).



अनुबंध - "घ"

1. ट्रस्ट और ट्रस्ट के मूल्यांकन अधिकारी (एओ) के बीच निम्नलिखित मुद्दों पर मतभेद है:
 - (क) क्या ट्रस्ट के उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 2(15) में उल्लिखित परिभाषा को ध्यान में रखते हुए "चैरिटेबल उद्देश्य" हैं।
 - (ख) क्या अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को "कुल आय" निर्धारित करने में लागू करना होगा।
2. मूल्यांकन अधिकारी की राय में:
 - (क) अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधान की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट के उद्देश्य "चैरिटेबल उद्देश्य" नहीं हैं।
 - (ख) अतः, अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान ट्रस्ट की आय के निर्धारण में लागू नहीं होते हैं।
3. उक्त राय के अनुसार, 31 मार्च, 2010 से 31 मार्च 2014 तक समाप्त पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए आय का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन अधिकारी की राय पर ट्रस्ट द्वारा अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष विरोध दर्ज किया गया। मूल्यांकन वर्ष 2010-11 के लिए दिनांक 12-07-2018 को आई टी ए टी बेंच के द्वारा सुनवाई पूर्ण हुई। दिनांक 18-01-2019 को आई टी ए टी द्वारा एन ई आई ए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। आई टी ए टी के मत में एन ई आई ए ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की श्रेणी के अंतर्गत आता है।
4. निर्देशानुसार, ट्रस्ट द्वारा निम्नलिखित तथ्यों के होते हुए भी, आय के संचय के लिए अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया जा रहा है :-
 - (क) ट्रस्ट निधि के राजस्व मद में निम्नलिखित शामिल हैं :
 - (i) भारत के केंद्र सरकार से प्राप्त राशि जो की वापसी योग्य जो कि कोष/सहायता में योगदान के रूप में (जैसा भी लागू हो)
 - (ii) वित्त वर्ष के दौरान आय का व्यय से अधिक होने से अधिशेष
 - (ख) बैंकों के पास निवेश की गयी सावधि जमा के रूप में ट्रस्ट निधि / राजस्व आय की अव्ययित शेष।
5. ट्रस्ट की राय में, उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2019 तक समाप्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष (वर्षों) की ट्रस्ट की अव्ययित आय को अनुलग्नक क -कुल आय का संगत अभिन्न भाग है में की गई गणना के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान लागू के रूप में माना जाना चाहिए।



6. ट्रस्ट द्वारा, इस तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि वित्तीय वर्ष की आय के की गणना के निर्धारण में, निम्नलिखित शेष राशि को भी शामिल किया जाना होगा, अधिनियम की धारा 11(2) के विकल्प का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जा रहा है:
- (क) बैंकों के पास निवेशित सावधि जमा
(ख) पूर्व प्रदत्त व्यय
(ग) प्रदत्त कर
7. आगे , ट्रस्ट की राय में यदि अंततः आय के निर्धारण के संबंध में ऊपर विवरित अनुसार ट्रस्ट के तर्क कि अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन आय के निर्धारण हेतु विकल्प का उपयोग किया गया है , को स्वीकार नहीं किया जाता तब प्रदत्त बीमा रक्षा के अनुकरण में ट्रस्ट पर बनने वाले संभावी दावों की राशि को दर्शाते हुए बीमा रक्षा के संबंध में बकाया जोखिम पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के जोखिमों की राशि उस अधिशेषित आय की राशि से काफी अधिक है जिस पर दिनांक 31 मार्च 2007/ दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (वर्षों) के लिए अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया गया ।




ANNEXURE - "D"

1. There is a difference of opinion between the Assessing Officer (AO) of the Trust and the Trust as to following:
 - (a) Whether the objects of the Trust are "Charitable Purpose" keeping in view the definition thereof in Section 2(15) of the Income Tax Act, 1961 (the Act).
 - (b) Whether the provisions of Section 11 of the Act have to be applied in determining "Total Income".
2. In the opinion of the AO:
 - (a) the objects of the Trust are not "Charitable Purpose" keeping in view the applicability of Proviso to Section 2(15) of the Act.
 - (b) Hence, provisions of Section 11 of the Act have not to be applied in determining income of the Trust.
3. In terms of the said opinion, the assessment of income is made for previous year(s) ended 31st March, 2010 to 31st March; 2014. The opinion of AO is contested by the Trust before appellate authorities. The hearing for AY 2010-11 was heard and completed in the ITAT Bench for AY 2010-11 on 12.07.2018. ITAT pronounced the order on 18.01.2019 in favour of the NEIA Trust. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust.
4. As advised, the Trust is exercising the option U/s. 11(2) of the Act for accumulation of income, notwithstanding the following facts:
 - (a) The revenue stream of the Trust Fund is represented by –
 - (i) Guarantee fee charged on insurance coverage issued in furtherance of the objects of the Trust;
 - (ii) Interest income earned on Fixed Deposit maintained with Scheduled Bank representing unspent balances of the Trust Fund and revenue income.
 - (b) The unspent balance lying to the Trust Fund / Revenue Income remains invested in Fixed Deposits with Banks.
5. In the opinion of the Trust, keeping in view the aforesaid facts, the unspent income of the Trust of each of the financial year(s) ended up to 31st March, 2019 has to be considered as applied during the relevant previous year as worked out in Annexure - A forming part of Statement of Total Income.



6. The Trust is exercising the option U/s.11(2) of the Act as an abundant caution which is without prejudice to its contention that in determining the application of income of the financial year, following balances have to be considered :
- (a) Fixed Deposit placed with Scheduled Bank;
 - (b) Pre-paid expenses;
 - (c) Taxes paid.
7. Further, in the opinion of the Trust, even if the contention of the Trust as explained in relation to application of income is not accepted finally, then, for the purpose of determining whether the Trust has applied the income in respect of which the option is exercised U/s.11(2) of the Act, the outstanding exposure in relation to the insurance coverage has to be considered representing the amount of claims which can devolve upon the Trust pursuant to the insurance coverage provided. The amount of such exposure far exceeds the surplus income in respect of which the option is exercised U/s.11(2) of the Act for the year(s) ended 31st March, 2007/ 31st March, 2019.



अनुलग्नक "सी"

फार्म नंबर 10

[नियम 17 देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 (2) के तहत मूल्यांकन अधिकारी / निर्धारित प्राधिकारी को नोटिस

प्रति,

सहायक आयकर निदेशक (छूट) II (2), मुंबई

1. मैं एम सेंथिलनाथन, प्रबंध ट्रस्टी, एनईआईए ट्रस्ट की ओर से आपके संज्ञान में लाता हूँ कि, ट्रस्टियों द्वारा दिनांक 23/09/2019 को पारित एक प्रस्ताव में यह निश्चित किया गया है कि (प्रति संलग्न) पिछले वर्ष के लिए ट्रस्ट की आय में से, मूल्यांकन वर्ष 2019-20 से संबन्धित, ट्रस्ट की आय की राशि. कुछ नहीं, जो कि पिछले वर्ष उपलब्ध थी, को ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ण करने में ट्रस्टी को सक्षम बनाने हेतु 31 मार्च 2024 तक अलग रखी जाए अथवा जमा किया जाए :-
 - क. राष्ट्रीय हित में मध्यम और दीर्घकालिक निर्यातकों के लाभ के लिए एनईआईए योजना को लागू करना।
 - ख. मध्यम और दीर्घकालिक निर्यातकों के लाभ के लिए भारत सरकार समय-समय पर इस तरह की अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए ढांचा तैयार कर सके और ट्रस्ट को उसे लागू करने का निर्देश दे सके ।
 - ग. अल्पावधि निर्यातकों के लाभ के लिए भारत सरकार समय-समय पर ऐसी अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए ढांचा तैयार कर सके और ट्रस्ट को लागू करने का निर्देश दे सके।
2. 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत से प्रारम्भ होने वाले छः महीनों की समाप्ति से पूर्व वह राशि जो संचित अथवा अलग रखी गई थी उसे धारा 11 के उपभाग (5) में निर्दिष्ट किसी एक या एक से अधिक साधनों में निवेश या जमा किया गया है।
3. ट्रस्ट के वार्षिक लेखों की प्रति निवेश (जमा सहित) व धन के उपयोग सहित, यदि कोई है तो, जो कि संचित की गई है अथवा अलग रखी गई है, से संबन्धित जानकारी पिछले वर्ष के अंत के अगले छः माह की समाप्ति से पूर्व आपको दे दी जाएगी।
4. हमारे द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 11 (2) में निर्धारित शर्तों के किए जा रहे पालन को देखते हुए यह निवेदन है कि उक्त में वर्णित संचित अथवा अलग रखी गई आय के संदर्भ में ट्रस्ट की आय में छूट देते हुए मूल्यांकन में अनुभाग का लाभ दिया जा सकता है।
5. इस नोटिस को नोट संख्या 1 और 4 के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए, जो कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय के विवरण का एक हिस्सा है, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

दिनांक 23-09-2019

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

एम सेंथिलनाथन
(प्रबंधकीय ट्रस्टी)

पता: C/o. ईसीजीसी लिमिटेड, एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.



ANNEXURE "C"

FORM NO.10


[See rule 17]

**Notice to the Assessing Officer/Prescribed Authority under section 11(2) of the
Income-tax Act 1961**

To
Assistant Director of Income Tax (Exemption) II (2), Mumbai.

1. I, **M. Senthilnathan, Managing Trustee**, on behalf of **NEIA Trust** hereby bring to your notice that it has been decided by a resolution passed by the trustees, on **23/09/2019** (copy enclosed) that, out of the income of the trust for the previous year, relevant to the assessment year 2019-20, an amount of Rs. Nil of the income of the trust, available at the end of the previous year(s) should be accumulated or set apart till the previous year(s) ending 31st March, 2024 in order to enable the trustees, to accumulate sufficient funds for carrying out the following purposes of the trust:--
 - (a) To implement the NEIA Scheme for the benefit of Medium and Long term Exporters in National Interest.
 - (b) To implement such other schemes for the benefit of Medium and Long Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.
 - (c) To implement such other schemes for the benefit of Short Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.
2. Before expiry of six months commencing from the end of previous year ended 31st March, 2019, the amount so accumulated or set apart has been invested or deposited in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11.
3. Copies of the annual accounts of the trust along with details of investment (including deposits) and utilization, if any, of the money so accumulated or set apart will be furnished to you before the expiry of six months commencing from the end of each relevant previous year.
4. It is requested that in view of our complying with the conditions laid down in section 11(2) of the income-tax Act, 1961, the benefit of that section may be given in the assessment of the trust exempting the income in respect of the trust in respect of the incomes accumulated or set apart as mentioned above.
5. This Notice is to be read in conjunction with Note Nos. 1 and 4 forming part of Statement of Income for the year ended 31st March, 2019, a copy whereof is annexed hereto.

Date: **23/09/2019**



Signature

M. Senthilnathan
(Managing Trustee)

Address: C/o. ECGC Limited, Express Towers, 10th
floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021.



दिनांक : 23-09-2019

निदेशक

भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

आर टी आई बिल्डिंग, 6 वीं मंज़िल

एशियन हार्ट हॉस्पिटल के पीछे

बी के सी , बांद्रा - पूर्व , मुंबई

प्रमाण पत्र

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने ईसीजीसी लिमिटेड, एक्सप्रेस टॉवर, 10वीं मंज़िल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021 में पंजीकृत पते पर स्थित एनईआईए ट्रस्ट की सावधि जमा रसीदों को भौतिक रूप से सत्यापित कर लिया है। 31 मार्च, 2019 तक **कुल 3469.96 करोड़ रु** की सावधि जमा रही जिनका का विवरण निम्नानुसार है:

31मार्च, 2019 तक प्रभावी जमाओं के विवरण					
क्र सं	जमा की तारीख	बैंक का नाम	उपकरण सं .	राशि (करोड़ रु में)	परिपक्वता की तारीख
1	02-मई 18	रत्नाकर बैंक लिमिटेड	709004856353	90.00	3-मई 19
2	14-मई 18	एच डी एफ सी बैंक	50300252462551	6.80	19 मई 19
3	21 मई 18	येस बैंक	000440400068390/1	136.80	21 मई 19
4	22- मई - 18	रत्नाकर बैंक लिमिटेड	709004872483	12.40	24मई 19
5	23- मई 18	एच डी एफ सी बैंक	50300253978230	370.50	24मई 19
6	24- मई 18	रत्नाकर बैंक लि	709004878256	90.30	24मई 19
7	01 जून 18	येस बैंक	000440400068480/1	19.00	1 जून 19
8	06 जून 18	कोटक महिंद्रा बैंक	8512035657	385.25	6 जून 19
9	12 जून 18	येस बैंक	000440400068902/1	147.65	13 जून 19
10	13 जून 18	येस बैंक	000440400068912/1	51.25	13 जून 19
11	15 जून 18	सिडबी	एमएचओएफ़डी01750	80.70	15 जून 19
12	18 जून 18	सिडबी	एम एच ओ एफ़ डी 01760	281.00	18 जून 19
13	19 जून 18	इंडसइंड बैंक	300725124235	47.05	20 जून 19



14	20 जून 18	इंडसइंड बैंक	300725124228	13.25	20 जून 19
15	25 जून 18	कोटक महिंद्रा बैंक	8512345442	3.40	28 जून 19
16	28 जून 18	कोटक महिंद्रा बैंक	8512347460	10.10	28 जून 19
17	06 जुलाई 18	येस बैंक	00440400069761/1	4.80	9 जुलाई 19
18	9 जुलाई 18	इंडसइंड बैंक	300725394744	60.20	9 जुलाई 19
19	16 जुलाई 18	एच डी एफ सी लिमिटेड	पीडी/1375916	6.05	16 जुलाई 19
20	20 जुलाई 18	इंडसइंड बैंक	300725138409	277.55	20 जुलाई 19
21	23 जुलाई 18	एच डी एफ सी लिमिटेड	पीडी/1380310	208.00	23 जुलाई 19
22	7 अगस्त 18	एच डी एफ सी लिमिटेड	पीडी/1387795	185.95	7 अगस्त 19
23	7 अगस्त 18	येस बैंक	000431400000015/1	40.50	7 अगस्त 19
24	7 अगस्त 18	एच डी एफ सी बैंक	50300269581760	22.70	7 अगस्त 19
25	7 अगस्त 18	फेडरल बैंक	10990300457488	5.00	7 अगस्त 19
26	7 अगस्त 18	फेडरल बैंक	10990300457496	5.00	7 अगस्त 19
27	7 अगस्त 18	फेडरल बैंक	10990300457504	5.00	7 अगस्त 19
28	7 अगस्त 18	फेडरल बैंक	10990300457512	5.00	7 अगस्त 19
29	7 अगस्त 18	फेडरल बैंक	10990300457520	5.00	7 अगस्त 19
30	7 अगस्त 18	फेडरल बैंक	10990300457538	5.00	7 अगस्त 19
31	7 अगस्त 18	फेडरल बैंक	10990300457546	5.00	7 अगस्त 19
32	7 अगस्त 18	फेडरल बैंक	10990300457553	5.00	7 अगस्त 19
33	7 अगस्त 18	फेडरल बैंक	10990300457561	5.00	7 अगस्त 19
34	7 अगस्त 18	फेडरल बैंक	10990300457579	5.00	7 अगस्त 19
35	7 अगस्त 18	फेडरल बैंक	10990300457587	3.10	7 अगस्त 19
36	14 अगस्त 18	आर बी एल बैंक लि	709005340226	4.36	14 अगस्त 19
37	20 अगस्त 18	फेडरल बैंक	12850300193418	2.70	23 अगस्त 19
38	23 अगस्त 18	कर्नाटक बैंक	1011500200674701	50.60	31 अगस्त 19
39	31 अगस्त 18	आंध्र बैंक	040220100125883	3.50	31 अगस्त 19



40	15 सितंबर 18	विजया बैंक	500703501000333	174.60	16 सितंबर 19
41	25 सितंबर 18	विजया बैंक	500703501000334	6.20	25 सितंबर 19
42	29 सितंबर 18	पंजाब नेशनल बैंक	373700एल आर00000082	171.50	29 सितंबर 19
43	10 अक्टूबर 18	पंजाब नेशनल बैंक	127400 एल आर 00000039	19.75	10 अक्टूबर 19
44	01 नवंबर 18	विजया बैंक	500703501000346	169.75	1 नवंबर 19
45	15 नवंबर 18	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	378903030091578	160.90	15 नवंबर 19
46	15 जनवरी 19	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10453091004056	13.95	15 जनवरी 20
47	11 फरवरी 19	कार्पोरेशन बैंक	530401035538629	18.45	11 फरवरी 20
48	16 फरवरी 19	विजया बैंक	500703501000375	6.50	17 फरवरी 20
49	30 मार्च 19	पंजाब नेशनल बैंक	127400एल आर 00000048	62.90	30 मार्च 20
कुल				3469.96	

कृते

कृते एल एन मारु एंड कं

सनदी लेखाकर

फार्म पंजीकरण सं .: 106069W

हस्ताक्षर

सी ए एल एन मारु

भागीदार

सदस्यता सं .: - 033246

यूडीआईएन :19033246 ए ए ए ए ए ए अफ2315





L N MARU & Co

Chartered Accountants

220, Wadala Udyog Bhavan, MMGS Marg, Dadar-Wadala, Mumbai - 400 031. Office : 022-2412 2382
Email : info@calnmaru.com | Website : www.calnmaru.com

Date: 23/09/2019

The Director,
Comptroller & Auditor General of India,
RTI Building, 6th Floor,
Behind Asian Heart Hospital,
BKC Bandra East, Mumbai

CERTIFICATE

We hereby certify that we have physically verified Fixed Deposits receipts of NEIA Trust, having its registered address at NEIA Trust C/O ECGC Limited, Express Tower, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai – 400021. The total Fixed Deposits receipts amounting to Rs. 3,469.96 Crores as on 31st March, 2019. Details of the Fixed Deposits are mentioned here under:

<u>Details of Deposits in force as on 31st March, 2019</u>					
Sr. No.	Date of Deposit	Name of the Bank	Instrument No.	Amount (Rs. in Crores)	Date of Maturity
1	2-May-18	Ratnakar Bank Ltd	709004856353	90.00	3-May-19
2	14-May-18	HDFC Bank	50300252462551	6.80	19-May-19
3	21-May-18	Yes Bank	000440400068390/1	136.80	21-May-19
4	22-May-18	Ratnakar Bank Ltd	709004872483	12.40	24-May-19
5	23-May-18	HDFC Bank	50300253978230	370.50	24-May-19
6	24-May-18	Ratnakar Bank Ltd	709004878256	90.30	24-May-19
7	1-Jun-18	Yes Bank	000440400068480/1	19.00	1-Jun-19
8	6-Jun-18	Kotak Mahindra Bank	8512035657	385.25	6-Jun-19
9	12-Jun-18	Yes Bank	000440400068902/1	147.65	13-Jun-19
10	13-Jun-18	Yes Bank	000440400068912/1	51.25	13-Jun-19
11	15-Jun-18	SIDBI	MHOFD01750	80.70	15-Jun-19
12	18-Jun-18	SIDBI	MHOFD01760	281.00	18-Jun-19
13	19-Jun-18	IndusInd Bank	300725124235	47.05	20-Jun-19
14	20-Jun-18	IndusInd Bank	300725124228	13.25	20-Jun-19
15	25-Jun-18	Kotak Mahindra Bank	8512345442	3.40	28-Jun-19
16	28-Jun-18	Kotak Mahindra Bank	8512347460	10.10	28-Jun-19
17	6-Jul-18	Yes Bank	000440400069761/1	4.80	9-Jul-19
18	9-Jul-18	IndusInd Bank	300725394744	60.20	9-Jul-19
19	16-Jul-18	HDFC Limited	PD/1375916	6.05	16-Jul-19
20	20-Jul-18	IndusInd Bank	300725138409	277.55	20-Jul-19
21	23-Jul-18	HDFC Limited	PD/1380310	208.00	23-Jul-19
22	7-Aug-18	HDFC Limited	PD/1387795	185.95	7-Aug-19



23	7-Aug-18	Yes Bank	000431400000015/1	40.50	7-Aug-19
24	7-Aug-18	HDFC Bank	50300269581760	22.70	7-Aug-19
25	7-Aug-18	Federal Bank	10990300457488	5.00	7-Aug-19
26	7-Aug-18	Federal Bank	10990300457496	5.00	7-Aug-19
27	7-Aug-18	Federal Bank	10990300457504	5.00	7-Aug-19
28	7-Aug-18	Federal Bank	10990300457512	5.00	7-Aug-19
29	7-Aug-18	Federal Bank	10990300457520	5.00	7-Aug-19
30	7-Aug-18	Federal Bank	10990300457538	5.00	7-Aug-19
31	7-Aug-18	Federal Bank	10990300457546	5.00	7-Aug-19
32	7-Aug-18	Federal Bank	10990300457553	5.00	7-Aug-19
33	7-Aug-18	Federal Bank	10990300457561	5.00	7-Aug-19
34	7-Aug-18	Federal Bank	10990300457579	5.00	7-Aug-19
35	7-Aug-18	Federal Bank	10990300457587	3.10	7-Aug-19
36	14-Aug-18	RBL Bank Ltd.	709005340226	4.36	14-Aug-19
37	20-Aug-18	Federal Bank	12850300193418	2.70	23-Aug-19
38	23-Aug-18	Karnataka Bk	1011500200674701	50.60	23-Aug-19
39	31-Aug-18	Andhra Bank	040220100125883	3.50	31-Aug-19
40	15-Sep-18	Vijaya Bank	500703501000333	174.60	16-Sep-19
41	25-Sep-18	Vijaya Bank	500703501000334	6.20	25-Sep-19
42	29-Sep-18	Punjab National Bank	373700LR00000082	171.50	29-Sep-19
43	10-Oct-18	Punjab National Bank	127400LR00000039	19.75	10-Oct-19
44	1-Nov-18	Vijaya Bank	500703501000346	169.75	1-Nov-19
45	15-Nov-18	Union Bank of India	378903030091578	160.90	15-Nov-19
46	15-Jan-19	Oriental Bank of Commerce	10453091004056	13.95	15-Jan-20
47	11-Feb-19	Corporation Bank	530401035538629	18.45	11-Feb-20
48	16-Feb-19	Vijaya Bank	500703501000375	6.50	17-Feb-20
49	30-Mar-19	Punjab National Bank	127400LR00000048	62.90	30-Mar-20
Total				3,469.96	

For L N Maru & Co.
Chartered Accountants

CA L N Maru
Partner
FRN: 106069W
Membership No. 033246
UDIN: 19033246AAAAAF2315

